रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

B 3.7.84

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 9, 1984/ज्येष्ठ 19, 1906

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 9, 1984/JYAISTHA 19, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 23 मई, 1984

सा०का०नि० 562.—राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976 के नियम 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1 (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन), नियम, 1984 है।

(2) ये तत्काल से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976 की अनुसूची I के क्रम सं० 30, 46 और 49 के अन्तर्गत कालम 8 में निम्न वांछनीय अर्हताओं की प्रविष्टि की जाती है :—

"वांछनीय : (क) होम गार्ड/नागरिक सुरक्षा वालंटियरों के रूप में 3 वर्ष की सेवा।

(ख) होम गार्ड और सिविल सुरक्षा में कम से कम 'बुनियादी' तथा 'पुनश्चर्या' पाठ्यक्रम।

[संख्या ए-35011/12/81-प्रशा०]

के० सी० सिंह, राष्ट्रपति का उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 23rd May, 1984

G.S.R. 562.—In exercise of the powers conferred by Rule 16 of the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1976, the President hereby makes the following rules :—

1. (1) These rules may be called the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) (Fourth Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall be deemed to have come into force with immediate effect.

2. The following shall be added as desirable qualification in column 8 against Serial Nos. 30, 46 and 49 in Schedule I to the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Services) Rules, 1976:—

"Desirable : (a) '3 years' service as Home Guards|Civil Defence Volunteers and (b) training in at least 'Basic' and 'Refresher' courses in Home Guards and Civil Defence."

[No. A-35011|12|81-Adm.]

K. C. SINGH, Dy. Secy. to the President

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 मई, 1984

सा०का०नि० 563:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) वर्ग IV पद भर्ती नियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) वर्ग IV पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार), वर्ग 4 भर्ती नियम, 1973 के नियम 4क के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को होमगार्ड के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने से छूट प्राप्त होगी।"

[सं० ए-21/60/75-बेतार (पर्स-I)]

एन० एस० शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14th May, 1984

GSR 563.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rule further to amend the Directorate of Coordination (Police Wireless) Class IV posts Recruitment Rules, 1973, namely:—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Coordination (Police Wireless) Class IV posts Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Coordination (Police Wireless) Class IV posts Recruitment Rules, 1973 after rule 4A the following proviso shall be inserted:—

"Provided further that the physically handicapped persons shall be exempted from undergoing training as a Home Guard".

[No. A-21|60|75-Wireless (Pers I)]

N. S. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 मई, 1984

सा०का०नि० 564:— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम प्रभाग में लेखाकार के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों को लेखाकार [विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम प्रभाग, गृह मंत्रालय] नियम, 1984 कहा जाएगा।

(2) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान उपर्युक्त अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. अयोग्यता :—कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका/जिसकी पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय कानूनों के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा किए जाने के अन्य कारण हैं, तो उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

5. छूट देने की शक्ति :—यदि केन्द्रीय सरकार का विचार हो कि ऐसा किया जाना आवश्यक या उचित है तो, वह लिखित रूप में रिकार्ड किए गए कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों को इन नियमों के किसी भी उपबंध से छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों में किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

लेखाकार के पद पर भर्ती के नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ प्राप्य है	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	6क	7
लेखाकार	2* (1984) *कार्भार के अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित)	550-25-750-ई०बी०-30-900 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की प्रणाली; सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न-विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थनान्तरण द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (i) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित सेवा विभाग से अधीनस्थ लेखा सेवा लेखाकार या अधीनस्थ लेखा सेवा पास क्लर्क। (ii) उपर्युक्त (i) के न होने पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वे सहायक जिनकी उस ग्रेड में 5 वर्षों की सेवा हो या सहायक और उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में 10 वर्षों की संयुक्त सेवा हो या केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के वे उच्च श्रेणी लिपिक जिनकी उस ग्रेड में 10 वर्षों की सेवा हो, जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़, और लेखा कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या समकक्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया हो

11
र जिन्हें लेखा और बजट कार्य का 3 वर्षों का अनुभव हो (प्रतिनियुक्ति की अवधि उक्त पद पर नियुक्ति से तुरन्त पहले, उसी संगठन/विभाग में किसी अन्य संवर्ग वाले पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो, उसका गठन क्या है	वे परिस्थितियां, जिसमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
लागू नहीं होता	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श जरूरी नहीं है।

[सं० ए-12018/6/83-प्रशासन (I) (क)]
बी० एम० अरोड़ा, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd May, 1984

G.S.R. 564.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Accountant in the Foreign Contribution (Regulation) Act Division of the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Accountant [Foreign Contribution (Regulation) Act, Division, Ministry of Home Affairs] Recruitment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of the pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification : No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Accountant

Name of post	No. of post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-Seletion post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6(a)	7
Accountant	2* (1984) *Subject to	General Central Service Group 'B'	Rs. 550-25-750-EB-30-900	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	6a	7
	variation dependent on workload.	Non-Gazetted.					

Whether age and educational qualifications prescribed for direct rectts. will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of Rectt. by Direct Rectt. or by promotion or by deputation or by transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of Rectt. by promotion/ deputation/transfer grades from which promotion/deputation/ transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	Not Applicable.	By transfer on deputation.	Transfer on deputation : (i) Subordinate Accounts Service Accountants or Subordinate Accounts Service passed Clerks from any of the organised Accounts Departments of the Central Government. (ii) Failing (i) above, Assistants of the Central Secretariat Service with 5 years' service in the grade or with 10 years' combined service in the grades of Assistants/Upper Division Clerks or Upper Division Clerks of Central Secretariat Clerical Service with 10 years. service in the grade, who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of secretariat Training and Management or equivalent and possess 3 years' experience of cash, accounts and budget work. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/ department shall oridnarily not exceeding 3 years.	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary while appointing an officer on transfer on deputation.

[No. A-12018/6/83-AD. I(A)]

B.M. ARORA, Under Secy.

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 22 मई, 1984

सा०का०नि० 565—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुसंधान अधिकारी) (श्रेणी II) भर्ती नियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुसंधान अधिकारी श्रेणी-II) भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुसंधान अधिकारी श्रेणी-II) भर्ती नियम 1973 की अनुसूची में स्तम्भ 6 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"30 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।"

[संख्या ए० 12018/3/84-प्रशा०-1]

ए० एन० सिक्का, अवर सचिव

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 22nd May, 1984

G.S.R. 565.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Personnel and Administrative Reforms (Research Officer—Class II) Recruitment Rules, 1973 namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Personnel and Administrative Reforms, (Research Officer Class II) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Personnel and Administrative Reforms (Research Officer Class-II) Recruitment Rules, 1973, in column 6, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

'30 years

(Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).'

[No. A-12018/3/84-Ad.I]

A. N. SIKKA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 मई, 1984

सा० का० नि० 566.—राष्ट्रपति, संविधान] के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) (पहला संशोधन) नियम 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में नियम 18 का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 19 में :—

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— "राजपत्रित और अराजपत्रित सरकारी सेवकों को चिकित्सीय प्रमाण-पत्र पर छुट्टी की मंजूरी।"

(ख) उपनियम (1) और उसके नीचे के टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर छुट्टी के लिए किए गए आवेदन के साथ, यदि वह—

(i) किसी राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा दिया गया है तो किसी प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा प्ररूप 3 में दिया गया चिकित्सीय प्रमाण-पत्र होगा ;

(ii) किसी अराजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा दिया गया है तो किसी प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक या किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्ररूप 4 में दिया गया चिकित्सीय प्रमाणपत्र होगा।

जिसमें यथा संभव स्पष्टतः बीमारी की प्रकृति और बीमारी की संभाव्य अवधि बताई गई होगी।

टिप्पण : अराजपत्रित सरकारी सेवक के मामले में, किसी रजिस्ट्रीकृत आयुर्वेदिक यूनानी या होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या दांत संबंधी व्याधियों की दशा में किसी रजिस्ट्रीकृत दंत चिकित्सक या किसी अवैतनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र भी स्वीकार किया जा सकेगा परन्तु यह तब जबकि ऐसा प्रमाणपत्र, उसी प्रयोजन के लिए उस राज्य सरकार द्वारा जिसमें केन्द्रीय सरकारी सेवक बीमार पड़ता है या उपचार के लिए जाता है, उसके अपने कर्मचारियों की दशा में स्वीकार्य हो।"

4. उक्त नियमों के प्ररूप 3 में—

(i) "मेरे विचार से, सरकारी सेवक के लिए चिकित्सीय बोर्ड के समक्ष हाजिर होना आवश्यक है/नहीं है।" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) टप्पण-1 का लोप किया जाएगा।

(iii) टिप्पण 2 में 'चिकित्सीय बोर्ड' शब्दों के स्थान पर 'सिविल सर्जन/स्टाफ सर्जन/प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारिक" शब्द रखे जायेंगे।

[सं० पी-13015/11/82-स्था० (छुट्टी)]

एस० हरिहरन, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 को नीचे ब्योरेवार दी गई अधिसूचना/राजपत्र द्वारा संशोधित किया गया है :

अधिसूचना की संख्या और तारीख राजपत्र अधिसूचना की सं० तथा तारीख का विवरण

1. एफ 16 (3) -ई-IV (ए)/71 तारीख 19-9-1972 का० आ० सं० 3724 तारीख 4-11-1972

2. एफ-4 (7) ई-iv (ए)/72 तारीख 30-4-1973 का० आ० सं० 1399 तारीख 19-5-73

3. एफ-5 (14)-ई-iv (ए)/73 तारीख 13-7-73 सा० का० नि० सं० 82 तारीख 4-9-73

4. एफ 14 (10) ई-iv (ए)/73 तारीख 11-6-74 उपलब्ध नहीं
5. एफ 5 (8) ई-iv (ए)/73 तारीख 19-7-74 सा० का० नि० सं० 818 तारीख 3-8-74
6. एफ 14 (8) ई-iv (ए) 73 तारीख 2-11-1974 सा० का० नि० सं० 1242 तारीख 23-12-74
7. एफ 16 (3) ई-iv (ए)/74 तारीख 20-12-74 सा० का० नि० सं० 1374 तारीख 28-12-74
8. एफ 16 (5) ई-iv (ए)/74 तारीख 11-4-75 सा० का० नि० सं० 526 तारीख 26-4-75
9. एफ 16 (8)-ई-iv (ए)/74 तारीख 26-5-75 सा० का० नि० सं० 686 तारीख 7-6-75
10. एफ 4 (1)-ई-iv (ए)/74 तारीख 24-6-75 सा० का० नि० सं० 834 तारीख 12-7-75
11. एफ 16 (5)-ई-iv (ए)/74 तारीख 20-9-75 सा० का० नि० सं० 2876 तारीख 27-12-75
12. एफ 5(7)-ई-iv (ए)/74 तारीख 2-12-75 सा० का० नि० सं० 2877 तारीख 27-12-75
13. एफ 5 (16)-ई-iv (ए)/73 तारीख 15-1-76 उपलब्ध नहीं है।
14. एफ 16 (5)-ई-iv (ए)/74 तारीख 31-7-75 सा० का० नि० सं० 1184 तारीख 14-8-78
15. एफ 4 (3)-ई-iv (ए)/75 तारीख 7-10-76 सा० का० नि० सं० 1587 तारीख 13-11-76
16. एफ 4(9) ई-iv (ए)/75 तारीख 14-3-77 सा० का० नि० सं० 611 तारीख 14-5-77
17. एफ 14 (11) ई-iv (ए)/76 तारीख 12-9-78 सा० का० नि सं० 1159 तारीख 23-9-78
18. पी 14025/12/78-ई-iv (ए) तारीख 4-10-78 सा० का० नि० सं० 1255 तारीख 21-10-78
19. पी 13024/1/78-ई-iv (ए) तारीख 29-8-79 सा० का० नि० सं० 1150 तारीख 1-9-79
20. पी 11012/1/77-ई-iv (ए) तारीख 21-11-79 सा० का० नि सं० 1422 तारीख 1-12-79
21. पी 14018/1/80-एल यू तारीख 21-11-80 सा० का० नि० सं० 1260 तारीख 13-12-80
22. एफ 16 (9) ई-iv (ए)/76 तारीख 31-12-80 का० सा० 263 तारीख 24-1-81
23. पी 11012/2/80-स्थापना (छु) तारीख 24-8-81 सा० का० नि० सं० 811 तारीख 5-9-81
24. पी 14028/9/80 स्था (छु) तारीख 1-10-81 सा० का० नि० सं० 927 तारीख 17-10-81
25. पी 14025/9/80-स्था० (छु) तारीख 16-4-82 सा० का० नि० सं० 423 तारीख 8-5-82
26. पी 13023/1/82-स्था० (छु) तारीख 16-4-83 सा० का० नि० सं० 433 तारीख 4-6-83
27. पी 14028/8/82-स्था० (छु) तारीख 27-7-83 सा० का० नि० सं० 589 दिनांक 27-7-83
28. पी 13023/2/81-स्था (छु) जारी होना है। सा० का० नि सं० 804 दिनांक 15-11-83
29. पी 14028/6/81-स्था० (छु) तारीख 17-10-83 सा० का० नि० सं० 315 दिनांक 24-3-84

New Delhi, the 25th May, 1984

GSR 566.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after Consultation with the comproller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (First Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publi-publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 (hereinafter referred to as the said rules), rule 18 shall be omitted.

3. In rule 19 of the said rules :

(a) for the heading, the following shall be substituted, namely :—

"Grant of leave on medical certificate to Gazetted and non-gazetted Government servants."

(b) for sub-rule (1) and Note thereunder, the following shall be substiuted, namely :—

"(1) An application for leave on medical certificate made by —

(i) a Gazetted Government servant, shall be accompanied by a medical certificate in Form 3 given by an Authorised Medical Attendant;

(ii) a non-gazetted Government servant, shall be accompanied by medical certificate in Form 4 given by an Authorised Medical Attendant or a registered Medical Practitioner;

defining as clearly as possible the nature and probable duration of illness.

Note :—In the case of non-gazetted Government servant, a certificate given by a registered Ayurvedic, Unani or Homeopathic medical practitioner or by a registered Dentist in the case of dental ailments or by an honorary medical officer may also be accepted provided such certificate is accepted for the same purpose in respect of its own employees by the Government of the State in which the Central Government Servant falls ill or to which he proceeds for treatment."

4. In Form 3 of the said rules:—

(i) the words "In my opinion it is/it is not necessary for the Government servant to appear before a Medical Board." shall be emitted.;

(ii) Note 1 shall be omitted;

(iii) in Note 2, for the Words "Medical Board" the words "Civil Surgeon/Staff Surgeon/Authorised Medical Attendant," shall be submitted.

[No. P. 13015/11/82-Estt.(L)]
S. HARIHARAN, Under Secy.

Note : —The Principal Central Civil Service (Leave) Rules, 1972 have been amended vide Notification/Gazette detailed below:—

No. and date of Notification	Particulars of Gazette Notification No. & Date.
1. F. 16(3)E.IV(A)/71 Dt. 11-9-72	S.O.No. 3724. Dt. 4-11-1972.
2. F. 4(7)E.IV(A)/72 Dt. 30-4-73	S.O. No. 1399 Dt. 19-5-1973.
3. F. 5(15)E.IV(A)/73 Dt. 13-7-73	G.S.R. No. 821 Dt. 4-8-73.
4. F. 14(10)E.IV(A)/73 Dt. 11-6-74	G.S. Readily not available.

5. F. 5(8)E.IV(A)/73 Dt. 19-7-74	G.S.R. No. 813 Dt. 3-8-1974.
6. F. 14(8)E.IV(A)/74 Dt. 2-11-74	G.S.R. No. 1242 Dt. 23-11-1974.
7. F. 16(3)E.IV(A)/74 Dt. 20-12-74	G.S.R. No. 1374 dt. 28-12-74.
8. F. 16(5)E.IV(A)/74 Dt. 11-4-75	G.S.R. No. 526 Dt. 26-4-1975.
9. F. 16(8)E.IV(A)/74 Dt. 26-5-75	G.S.R. No. 686 Dt. 7-6-75.
10. F. 4(1)E.IV(A)/74 Dt. 24-6-75	G.S.R. No. 834 Dt. 12-7-75.
11. F. 16(5)E.IV(A)/74 Dt. 20-9-75	G.S.R. No. 2876 Dt. 27-12-75
12. F. 5(7)E.IV(A)/75 Dt. 2-12-75	G.S.R. No. 2877 Dt. 27-12-75.
13. F. 5(16)E.IV(A)/73 Dt. 15-1-76	Readily not available.
14. F. 16(6)E.IV(A)/74 Dt. 31-7-76	G.S.R. No. 1184 Dt. 14-8-76
15. F. 6(3)E.IV(A)/76 Dt. 7-10-76	G.S.R. No. 1586 Dt. 13-11-76
16. F. 4(9)E.IV(A)/76 Dt. 14-3-77	G.S.R. No. 611 Dt. 14-5-77
17. F. 14(11)E.IV(A)/76 Dt. 12-9-78	G.S.R. No. 1159 Dt. 23-9-1978
18. P. 14025/1/78-E.IV(A) dt. 4-10-78	G.S.R. No. 1255 Dt. 21-10-78
19. P. 13024/1/78-E. IV(A) Dt. 29-8-79	G.S.R. No. 1150 Dt. 15-9-79.
20. P. 11012/1/77-E. IV(A) Dt. 21-11-79	G.S.R. No. 1422 Dt. 1-12-79.
21. P. 14018/1/80-LU Dt. 21-11-80	G.S.R. No. 1260 Dt. 13-12-80.
22. P. 16(9)E. IV(A)/76 Dt. 31-12-80	S.O. No. 263 Dt. 24-1-1981.
23. P. 11012/2/80-Estt(L) Dt. 24-8-81	G.S.R. No. 811. Dt. 5-9-81.
24. P. 14028/9/80-Estt.(L) Dt. 1-10-81	G.S.R. No. 927 Dt. 17-10-81.
25. P. 14025/9/80-Estt(L) Dt. 16-4-82	G.S.R. No. 423 Dt. 8-5-82.
26. P. 13023/1/82-Estt. (A) Dt. 16-4-83	G.S.R. No. 413 Dt. 4-6-83.
27. P. 14028/8/82- Estt. (A) Dt. 27-7-83	G.S.R. No. 589 Dt. 13-8-83.
28. P. 13023/2/81-Estt.(A) Dt. 12-10-83	Readily not available.
29. P. 14028/6/81-Estt.(A) Dt. 17-10-83	G.S.R. No. 315 Dt. 24-3-84.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 17 मई, 1984

सा० का० नि० 567 :—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1984 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948 में :—

(क) विद्यमान पैरा 65ख के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

"65ख निवास-गृह (फ्लेट के क्रय के लिए या किसी निवास-गृह के जिसके अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए समुचित स्थल का अर्जन भी है, संनिर्माण के लिए निधि से अग्रिम।

(1) आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा ऐसा प्राधिकृत किया गया हो, वहां उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी, ऐसे प्ररूप में जो आयुक्त द्वारा विहित किया जाए, और इस पैरा में विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी सदस्य द्वारा किए गए आवेदन पर निधि में सदस्य के जमा खाते में रकम के निम्नलिखित के लिए अप्रतिदेय अग्रिम मंजूर कर सकेगा :—

(क) निवास-गृह या कोई ऐसा फ्लैट जिसके अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त स्वामित्व वाले किसी भवन में का कोई फ्लैट भी है (पूर्णतया क्रय या अवक्रय आधार पर) क्रय करने के लिए या ऐसे निवास गृह जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी सहकारी सोसाइटी, संस्था, न्यास, स्थानीय निकाय या आवास वित्त निगम (जिसे इसमें इसके पश्चात् यथास्थिति, अभिकरण / अभिकरणों कहा गया है) से इस प्रयोजन के लिए समुचित स्थल का अर्जन भी है, के संनिर्माण के लिए ;

या

(ख) निवास-गृह के संनिर्माण के प्रयोजन के लिए निवास स्थल या किसी व्यक्ति से निर्मित निवास-गृह या कोई फ्लैट क्रय करने के लिए परन्तु यह तब जबकि क्रय किया जाने वाला उक्त गृह या फ्लैट नया और अनिवासित है ;

या

(ग) सदस्य या सदस्य के पति / पत्नी या संयुक्त सदस्य और उसके पति / पत्नी द्वारा स्वामित्व वाले किसी स्थल पर निवास-गृह ——————के संनिर्माण के लिए या ऐसे स्थल पर सदस्य या पति / पत्नी द्वारा पहले से ही प्रारंभ कर दिए गए किसी निवास-गृह के संनिर्माण को पूरा करने या जारी रखने के लिए ;

या

(घ) सदस्य या सदस्य के पति / पत्नी या संयुक्त सदस्य और पति / पत्नी द्वारा स्वामित्व वाले विद्यमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए।

स्पष्टीकरण :

(1) इस पैरा में स्पष्टीकरण :—"सहकारी सोसाईटी" से सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अधीन या सहकारी सोसाईटियों से संबंधित किसी राज्य में तत्समय

प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली कोई सोसाईटी अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण :

(1) इस पैरा में नये और अनिवासित गृह या फलैट के तथ्य को भवन की रेखांक संख्या और अनुमोदन की तारीख, गृह या फलैट के प्रारंभ और पूरा होने की तारीख से संबंधित प्रमाण-पत्रों और समुचित प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए कर संबंधी बिलों और ————रसीदों के प्रतिनिर्देश से और जहां आवश्यक हो, वहां पड़ोस में की गई जांच द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(2) अग्रिम की रकम चोबीस मास की सदस्य की कुल उपलब्धियों या संदाय के प्राधिकरण की तारीख को सदस्य के जमा खाते में नियोजक के पचहत्तर प्रतिशत अभिदाय शेयर सहित इस पर जमा ब्याज सहित सदस्य के अपने अभिदाय के शेयर या निवास स्थल के अर्जन के मदधे वास्तविक लागत उस पर संनिर्माण या निवास गृह या फलैट के क्रय या निवास गृह के संनिर्माण की लागत सहित इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

निवास स्थल के अर्जन या निवास गृह या फलैट के क्रय के मदधे वास्तविक लागत के अन्तर्गत ऐसे स्थल गृह या फलैट के रजिस्ट्रीकरण के दुधे संदेय प्रभार भी होंगे।

(3)(क) इस पैरा के अधीन कोई भी अग्रिम तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि :-

(i) सदस्य ने निधि की सदस्यता के बारह वर्ष पूरे न कर दिए हों।

(ii) सदस्य का निधि में अपने जमा खाते में जमा अभिदाय का अपना शेयर उस पर ब्याज सहित 2000/- रुपए से कम नहीं है,

(ii) निवास स्थल या निवास गृह या फलैट या निर्माणाधीन गृह या परिवर्धन या परिवर्तन विसंगमों से मुक्त न हो :

परंतु जहां किसी निवास स्थल या निवास गृह या फलैट को केवल किसी निवास गृह या फलैट के क्रय के लिए या किसी निवास गृह जिसके अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए समुचित स्थल का अर्जन भी है, के संनिर्माण के लिए निधि अभिप्राप्त करने पर उपपैरा(1) के खण्ड (क) में निदिष्ट अभिकरणों में से किसी को बंधक कर दिया जाता है तो वहां यथा स्थिति, ऐसा निवास स्थल या निवास गृह या फलैट विसंगमित सम्पत्ति नहीं माना जाएगा :

परन्तु यह और कि निवास गृह या फलैट के संनिर्माण के लिए शाश्वत पटटे पर या 30 वर्ष से अनर्जन की अवधि के लिए पटटे पर अर्जित भूमि या ऐसी पटटाकृत भूमि पर निर्मित गृह या फलैट विसंगमित सम्पत्ति नहीं माना जाएगा :

परन्तु यह और भी कि जहां निवास गृह या फलैट का स्थल उपपैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण के नाम में धारित है और आबंटिती को ऐसे अधिकरण के पुर्वानुमोदन के बिना गृह या फलैट का अन्तरण या उसका अन्यथा व्ययन करने से प्रवारित किया जाता है वहां मात्र यह तथ्य कि आबंटिती को गृह या फलैट का आत्यन्तिक अधिकार या स्वामित्व नहीं है और स्थल अभिकरण के नाम में हैं, उप पैरा (1) के खंड (क) के अधीन अग्रिम दिए जाने के लिए कोई वर्जन नहीं होगा, यदि इस पैरा में वर्णित अन्य शर्तों को पूरा कर लिया जाता है।

(ख) कोई भी अग्रिम ऐसे स्थल के सिवाय जो संयुक्ततः पति/पत्नी के स्वामित्वाधीन हो संयुक्त सम्पत्ति में शेयर क्रय करने या संयुक्त: स्वामित्व वाले स्थल गृह का संनिर्माण करने के लिए नहीं दिया जाएगा।

(4) उपपैरा (2) में विहित परिसीमा के अधीन रहते हुए,—

(क) जहां अग्रिम उपपैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण से निवास गृह या फलैट या किसी निवास स्थल के क्रय के लिए है, वहां अग्रिम का संदाय सदस्य को नहीं किया जाएगा, अपितु एक या अधिक किस्तों में जैसा सदस्य द्वारा प्राधिकृत किया जाए, सीधे अभिकरण को किया जाएगा;

(ख) जहां अग्रिम किसी निवास गृह के संनिर्माण के लिए है, वहां वह दो समान किस्तों में पहला आवेदन पर और दूसरा तब जब संनिर्माण ष्लिंथ स्तर पर पहुंच जाए, मंजूर किया जाएगा;

(ग) जहां अग्रिम किसी व्यक्ति या अभिकरण से किसी निवास गृह के संनिर्माण के प्रयोजन के लिए निवास स्थान के अर्जन के लिए है, वहां रकम कम से कम दो समान किस्तों में संदत्त की जाएगी, पहली किस्त निवास स्थल के अर्जन के समय और शेष ऐसे निवास स्थल पर निवास गृह के संनिर्माण के समय उसके अनुरोध पर।

(घ) जहां अग्रिम विद्यमान गृह में ———परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए है वहां अग्रिम दो समान किस्तों में, पहला आवेदन के समय और दूसरा परिवर्धनों या परिवर्तनों के प्रारंभ के पश्चात् मंजूर किया जाएगा।

(5) जहां अग्रिम निवास गृह के संनिर्माण के लिए मंजूर किया जाता है वहां संनिर्माण पहली किस्त निकाले जाने के छह मास के अंदर प्रारंभ किया जाएगा और अंतिम किस्त के निकाले जाने के बारह मास के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। जहां अग्रिम निवास गृह या फलैट के क्रय के लिए या निवास स्थल के अर्जन के लिये मंजूर किया जाता है, वहां यथास्थिति, क्रय या अर्जन रकम निकाले जाने के छः मास के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा;

परन्तु यह उपबंध अवक्रय पर निवास गृह फलैट के क्रय किए जाने की दशा में और उन दशाओं में जहां निवास स्थल का अर्जन या गृहों का संनिर्माण अपने सदस्यों की ओर से किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा सदस्यों को उसके आवंटन की दृष्टि से किया जाता हो, लागू नहीं होगा।

(6) उपपैरा (7) में विनिर्दिष्ट मामलों के सिवाय कोई और अग्रिम इस पैरा के अधीन किसी सदस्य को अनुदेय नहीं होगा।

(7) सदस्य या पति/पत्नी द्वारा अथवा संयुक्ततः सदस्य और पति/पत्नी द्वारा स्वामित्व वाले निवास गृह के लिए आवश्यक परिवर्तन, पर्याप्त परिवर्तन या सुधार के लिए छः मास की कुल उपलब्धियां तक या सदस्य के अपने अभिदायों के शेयर तक निधि में उसके जमा खाते जमा रकम पर ब्याज सहित, अतिरिक्त अग्रिम इन दोनों में से जो भी कम हो, ऐसे सदस्यों को दिया जा सकेगा जिनके एक बार और केवल एक किस्त में उपपैरा (1) के खण्ड (क) या (ख) या (ग) के अधीन अग्रिम दिया गया था :

परन्तु अग्रिम निवास गृह के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् ही अनुज्ञेय होगा।

(8) सदस्य निरीक्षण के लिए हकविलेख और ऐसे अन्य दस्तावेजें, जिनकी अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा जो अग्रिम दिए जाने के पश्चात सदस्य को वापस लौटा दी जाएगी।

(9) (क) यदि इस पैरे के अधीन दिया गया अग्रिम उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए यह मंजूर किया गया था, वास्तुत: व्यय की गई

रकम से अधिक है तो अतिरिक्त रकम सदस्य द्वारा क्रय को अन्तिम रूप दिए जाने या यथास्थिति, निवास गृह के संनिर्माण या उसमें आवश्यक परिवर्धन, परिवर्तन या सुधार पूरा कर लिए जाने के तीस दिन के अन्दर एक मुश्त रूप में निधि में वापस कर दी जाएगी इस प्रकार वापिस की गई रकम निधि में सदस्य के खाते में नियोजक के अभिदायों के शेयर में उक्त शेयर से दी गई अग्रिम की मात्रा तक जमा की जाएगी और अतिशेष, यदि कोई है, सदस्य के खाते में अभिदायों के उसके शेयर में जमा कर दिया जाएगा।

(ख) यदि सदस्य को निवास स्थल या निवास गृह, या कोई फ्लैट आवंटित नहीं किया जाता है या सदस्य को किए गए आबंटन के रद्द किए जाने की दशा में और उपपैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अभिकरण द्वारा रकम के वापस किए जाने की दशा में या सदस्य के किसी व्यक्तियों से निवास स्थल अर्जन करने या निवास गृह या कोई फ्लैट क्रय करने में या निवास गृह का संनिर्माण करने में असमर्थ रहने की दशा में सदस्य एक मुश्त रूप में और ऐसी रीति में जो आयुक्त द्वारा या जहां आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, वहां उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी, द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, इस पैरा के अधीन उसको या यथास्थिति उपपैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अभिकरण को प्रेषित अग्रिम की रकम को निधि में वापस किए जाने का दायित्वाधीन होगा।

इस प्रकार वापस की गई रकम निधि में सदस्य के खाते में नियोजक के अभिदायों के शेयर में उक्त शेयर से दी गई अग्रिम की मात्रा तक जमा कर दी जाएगी और अधिशेष यदि कोई है, सदस्य के खाते में अभिदायों के उसके शेयर में जमा कर दिया जाएगा।

(10) यदि आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, वहां उसका अधीनस्थ किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस पैरा के अधीन दिए गए अग्रिम का उपयोजन उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह दिया गया था, किया गया है, या यह कि सदस्य निवास गृह का आबंटन स्वीकार करने या उसे अर्जित करने से इनकार करता है, य यह कि अग्रिम की शर्तों को पूरा नहीं किया गया है या यह कि इस बात की युक्तियुक्त आशंका है है कि वे पूर्णतः या भागतः पूरी नहीं की जाएगी या यह कि अतिरिक्त रकम उप पैरा (3) के खण्ड (क) के निबंधनों के अनुसार वापस नहीं की जाएगी या यह कि उपपैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण द्वारा सदस्य को वापस प्रेषित रकम उपपैरा (9) के खंड (ख) के निबंधनों के अनुसार वापस नहीं की जाएगी, तो आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो वहां उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी सदस्य की मजदूरी से सम्यक रकम, इस पर शास्तिक ब्याज सहित दो प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उतनी किस्तों में जितना आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो वहां उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कोई अधिकारी नियोजक को सदस्य की मजदूरियों से ऐसी किस्तों को कटौती करने के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसे निदेश की समाप्ति पर नियोजक तदनुसार कटौती करेगा। इस प्रकार कटौती की गई रकम नियोजक द्वारा ऐसे समय के अन्दर और ऐसी रीति में जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए निधि में प्रेषित की जाएगी। इस प्रकार वापस की गई रकम जिसके अन्तर्गत शास्तिक ब्याज नहीं है, निधि में सदस्य के खाते में नियोजक के अभिदायों के शेयर में उक्त शेयर से दी गई अग्रिम की मात्रा तक जमा की जाएगी और अतिशेष यदि कोई, है, सदस्य के खाते में अभिदायों के उसके शेयर में जमा कर दिया जाएगा। शास्तिक ब्याज की रकम ब्याज निलंबन लेखे में जमा की जाएगी।

(11) जहां इस पैरा के अधीन दिए गए अग्रिम का सदस्य द्वारा दुरुपयोग किया गया है, तो उक्त अग्रिम दिए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर या उक्त अग्रिम की रकम उस पर शास्तिक ब्याज सहित पूर्ण रूप से वसूल किए जाने तक, इन दोनों में से जो भी पश्चातवर्ती हो, इस पैरा के अधीन कोई और अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

(ख) विद्यमान पैरा 65 घ का लोप किया जाएगा।

टिप्पण

1. कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948 अधिसूचना सं० पी० एफ० 15 (6) /48 तारीख 11-12-1948 द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :-

2. पी० एफ० 15 (9)/50, तारीख 9-1-1950
3. पी० एफ० 15(9)/50 तारीख 23-2-1950
4. का० नि० आ० 608, तारीख 28-4-1951
5. का० नि० आ० 1585, तारीख 13-10-1951
6. का० नि० आ० 138, तारीख 26-1-1952
7. का० नि० आ० 317, तारीख 23-2-1982
8. का० नि० आ० 795, तारीख 3-5-1952
9. का० नि० आ० 1134, तारीख 28-6-1952
10. का० नि० आ० 1212, तारीख 12-7-1952
11. का० नि० आ० 1985, तारीख 29-1-1952
12. का० नि० आ० 3306, तारीख 30-10-1954
13. का० नि० आ० 1057, तारीख 14-5-1955
14. का० नि० आ० 1208, तारीख 4-6-1955
15. का० नि० आ० 1472, तारीख 9-7-1955
16. का० नि० आ० 1747, तारीख 13-8-1955
17. का० नि० आ० 1852, तारीख 27-8-1955
18. का० नि० आ० 2041, तारीख 17-9-1955
19. का० नि० आ० 2226, तारीख 8-10-1955
20. का० नि० आ० 3480, तारीख 12-11-1955
21. का० नि० आ० 366, तारीख 18-12-1956
22. का० नि० आ० 999, तारीख 28-4-1956
23. का० नि० आ० 1340, तारीख 9-6-1956
24. का० नि० आ० 1398, तारीख 16-6-1956
25. का० नि० आ० 1766, तारीख 4-8-1956
26. का नि० आ० 128, तारीख 12-1-1957
27. का० नि० आ० 129, तारीख 12-1-1957
28. का० नि० आ० 809, तारीख 16-2-1957
29. का० नि० आ० 510, तारीख 16-2-1957
30. का० नि० आ० 816, तारीख 16-3-1957
31. का० नि० आ० 256, तारीख 10-4-1957
32. का० नि० आ० 3568, तारीख 9-11-1957
33. का० नि० आ० 3899, तारीख 7-12-1957
34. का० नि० आ० 238, तारीख 18-1-1958
35. का० नि० आ० 424, तारीख 1-2-1958
36. का० नि० आ० 511, तारीख 13-4-1958
37. का० नि० आ० 1276, तारीख 17-9-1960
38. का० आ० 2278, तारीख 17-9-1960
39. का० आ० 2620, तारीख 4-11-1961
40. का० आ० 2778, तारीख 25-11-1961
41. का० नि० आ० 1121, तारीख 25-8-1962
42. का० नि० आ० 1173, तारीख 1-9-1962
43. का० नि० आ० 1678, तारीख 8-12-1962
44. का० नि० आ० 45, तारीख 5-1-1963
45. का० नि० आ० 147 तारीख 26-1-1963
46. का० नि० आ० 777, तारीख 4-5-1963
47. का० नि० आ० 943, तारीख 1-6-1963
48. का० नि० आ० 1061, तारीख 22-6-1963

49. का० नि० आ० 1063, तारीख 22-6-1963
50. का० नि० आ० 1245, तारीख 27-7 1963
51. का० नि० आ० 1321, तारीख 10-8-1963
52. का० नि० आ० 1428, तारीख 31-8-1963
53. का० नि० आ० 1772, तारीख 16-11-1963
54. का० नि० आ० 1979, तारीख 28-12-1963
55. का० नि० आ० 128, तारीख 25-1-1964
56. का० नि० आ० 690, तारीख 2-5-1964
57. का० नि० आ० 767, तारीख 23-5-1964
58. का० नि० आ० 843, तारीख 6-6-1964
59. का० नि० आ० 845, तारीख 6-6-1964
60. का० नि० आ० 1203, तारीख 29-8-1964
61. का० नि० आ० 1681, तारीख 28-11-1964
62. का० नि० आ० 404, तारीख 13-3-1965
63. का० नि० आ० 425, तारीख 20-3-1965
64. का० नि० आ० 1504, तारीख 16-10-1965
65. का० नि० आ० 402, तारीख 1-4-1966
66. का० नि० आ० 1221, तारीख 6-8-1966
67. का० नि० आ० 1577, तारीख 15-10-1966
68. का० नि० आ० 859, तारीख 3-6-1967
69. का० नि० आ० 863, तारीख 3-6-1967
70. का० नि० आ० 777, तारीख 27-5-1967
71. का० नि० आ० 1646, तारीख 4-11-1967
72. का० नि० आ० 157, तारीख 27-1-1968
73. का० नि० आ० 1726, तारीख 21-9-1968
74. का० नि० आ० 1140, तारीख 17-5-1969
75. का० नि० आ० 2483, तारीख 1-11-1969
76. का० नि० आ० 2491, तारीख 1-11-1969
77. का० नि० आ० 531, तारीख 4-4-1970
78. का० नि० आ० 54, तारीख 2-1-1970
79. का० नि० आ० 14, तारीख 2-1-1971
80. का० नि० आ० 1006, तारीख 10-7-1971
81. का० नि० आ० 1814, तारीख 4-12-1971
82. का० नि० आ० 1988, तारीख 25-12-1971
83. का० नि० आ० 52, तारीख 1-1-1972
84. का० नि० आ० 509, तारीख 29-4-1972
85. का० नि० आ० 1087, तारीख 9-9-1972
86. का० नि० आ० 1187, तारीख 30-9-1972
87. का० नि० आ० 1521, तारीख 2-12-1972
88. का० नि० आ० 217, तारीख 3-3-1973
89. का० नि० आ० 548, तारीख 26-5-1973
90. का० नि० आ० 976, तारीख 9-8-1973
91. का० नि० आ० 873, तारीख 3-8-1974
92. का० नि० आ० 687, तारीख 31-5-1975
93. का० नि० आ० 2772, तारीख 6-12-1975
94. का० नि० आ० 845, तारीख 12-6-1976
95. का० नि० आ० 1387, तारीख 25-9-1976
96. का० नि० आ० 1391, तारीख 25-9-1976
97. का० नि० आ० 1354, तारीख 11-11-1978
98. का० नि० आ० 463, तारीख 24-3-1979
99. का० नि० आ० 1013, तारीख 28-7-1979
100. का० नि० आ० 907, तारीख 6-9-1980
101. का० नि० आ० 991, तारीख 27-9-1980
102. का० नि० आ० 1159, तारीख 8-11-1980
103. का० नि० आ० 308, तारीख 15-3-1980
104. का० नि० आ० 136, तारीख 7-2-1981
105. का० नि० आ० 513, तारीख 16-7-1983
106. का० नि० आ० 993, तारीख 24-12-1983

[फा० सं० 70011(1)/83प्रश-I-1पीएफ(I)

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 17th May, 1984

G.S.R. 567.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1984.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948,—

(a) for the existing paragraph 65B, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"65B. Advance from the Fund for the purchase of a dwelling house/flat or for the construction of a dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose.

(1) The Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any other subordinate to him, may on application from a member in such form as may be prescribed by the Commissioner and subject to the conditions prescribed in this paragraph sanction from the amount standing to the credit of the member in the fund, a non-refundable advance:

(a) for purchasing a dwelling house or a flat including a flat in a building owned jointly with others (outright or on hire purchase basis) or for constructing dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose from the Central Government, the State Government a Co-operative Society, an institution, a trust, a local body or a Housing Finance Corporation (hereinafter referred to as the agency or agencies, as the case may be;

OR

(b) for purchasing a dwelling site for the purpose of construction of a dwelling house or a reday-built house or a at from any individual provided the said house or flat to be purchased is new and unlived one;

(c) for the construction of a dwelling house on a site owned by the member or the spouse of the member of jointly by the member and the spouse, or for completing or continuing the construction of a dwelling house already commenced by the member or the spouse, on such site;

OR

(d) for making addition or alteration to an existing house owned by the member or the spouse of the member or jointly by the member and the spouse.

Explanation—(1) In this paragraph, the explanation, 'Co-operative Society' means a society registered or deemed to be registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or under any other law for the time being in force in any State relating to Co-operative Societies.

Explanation.—(2) In this paragraph, the fact of a new and unlived house or flat shall be determined with reference to the certificates relating to the number and date of approval of the building plan, the date of commencement and completion of the house or the flat, and the tax bills and receipts issued by the appropriate authorities, and wherever necessary, by neighbourhood enquiries.

2. The amount of advance shall not exceed the member's total emoluments for twenty four months or the member's own share of contribution together with 75% employers' share of contribution with interest thereon standing to his credit on the date of authorisation of payment or the actual cost towards the acquisition of the dwelling site together with the cost of construction thereon or the purchase of the dwelling house or flat or the construction of the dwelling house, whichever is the least.

Explanation.—The actual cost towards the acquisition of the dwelling site or the purchase of dwelling house or flat shall include charges payable towards registration of such site, house or flat.

(3) (a) No advance under this paragraph shall be granted unless :

(i) the member has completed twelve years' membership of the Fund;

(ii) the member's own share of contribution with interest thereon standing to his credit in the Fund is not less two thousand rupees;

(iii) the dwelling site or the dwelling house or flat or the house under construction or addition or alteration is free from encumberances :

Provided that where a dwelling site or a dwelling house or a flat is mortgaged to any of the agencies referred to in clause (a) of sub-paragraph (1) solely for having obtained funds for the purchase of a dwelling house or a flat or for the construction of a dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose, such a dwelling site or a dwelling house or flat as the case may, be shall not be deemed to be an encumbered property :

Provided further that a land acquired on a perpetual lease or on lease for a period of not less than 30 years for constructing a dwelling house or a flat, or a house or a flat built on such a leased land, shall also not be deemed to be an encumbered propetry :

Provided also that where the site of the dwelling house or flat is held in the name of any agency, referred to in clause (a) of sub-paragraph (1) and the allottee is precluded from transferring or otherwise disposing of the house or flat without the prior approval of such agency, the mere fact that the allottee does not have absolute right or ownership of the house or flat and the site is held in the name of the agency, shall not be a bar to the giving of an advance under clause (a) of sub-paragraph (1), if the other conditions mentioned in this paragraph are satisfied.

(b) No advance shall be granted for purchasing share in a joint property or for constructing a house on a site owned jointly except on a site owned jointly with the spouse.

(4) Subject to the limitation prescribed in sub-paragraph (2)—

(a) where the advance is for the purchase of a dwelling house or a flat or a dwelling site from an agency referred to in clause (a) of sub-paragraph (1), the payment of advance shall not be made to the member but shall be made direct to the agency in one more instalments, as may be authorised by the member;

(b) where the advance is for the construction of a dwelling house it shall be sanctioned in two equal instalments, the first on application and the second when the construction reaches within level;

(c) where the advance is for the acquisition of a dwelling site for the purpose of construction of a dwelling house thereon from any individual or any agency, the amount shall be paid in not less than two equal instalments, the first instalment at the time of acquisition of the dwelling site and the remaining at his request at the time of construction of a dwelling house on such dwelling site;

(d) when the advance is for making additions or alterations to an existing house, the advance shall be sanctioned in two equal instalments, first at the time of application and second after commencement of the addition or alterations.

(5) Where an advance is sanctioned for the construction of a dwelling house, the construction shall commence within six months of the withdrawal of the first instalment and shall be completed within twelve months of the withdrawal of the final instalment. Where the advance is sanctioned for the purchase of a dwelling house or a flat or for the acquisition of a dwelling site, the purchase or acquisition as the case may be, shall be completed within six months of the withdrawal of the amount :

Provided that this provision shall not be applicable in case of purchase of a dwelling house or a flat on hire purchase basis and in cases where a dwelling site is to be acquired or houses are to be constructed by a Co-operative Society on behalf of its members with a view to their allotment to the members.

(6) Except in the cases specified in sub-paragraph (7), no further advance shall be admissible to a member under this paragraph.

(7) An additional advance upto six months' total emoluments or the member's own share of contributions with interest thereon in the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, may be granted to members for whom advances had been granted under clause (a) or (b) or (c) of sub-paragraph (1), once and in one instalment only, for additions, substantial alterations or improvements necessary to the dwelling house owned by the member and the spouse :

Provided that the advance shall be admissible only after a period of five years from the date of completion of the dwelling house.

(8) The member shall produce the title deed and such other documents as may be required for inspection which shall be returned to the member after the grant of advance.

(9) (a) If the advance granted under this paragraph exceeds the amount actually spent for the purpose for which it was sanctioned the excess amount shall be refunded by the member to the Fund in one lumpsum within thirty days of the finalisation of the purchase, or the competition of the construction of, or necessary additions, alterations or improvements to a dwelling house, as the case may be. The amount so refunded shall be credited to the employer's share of contributions in the member's account in the Fund to the extent of advance granted out of the said share and the balance; if any, shall be credited to the number's share of contributions in his account.

(b) In the event of the member not having been allotted a dwelling site or a dwelling house or a flat, or in the event of the cancellation of an allotment made to the member and in the event of refund of the amount by the agency referred

to in clause (a) of sub-paragraph (1) or in the event of the member not being able to acquire the dwelling site or to purchase the dwelling house or a flat from any individual or to construct the dwelling house, the member shall be liable to refund to the Fund in one lumpsum and in such manner as may be specified by the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, the amount of advance remitted under this paragraph to him or, as the case may be, to the agency referred to in clause (a) of sub-paragraph. (1).

The amount so refunded shall be credited to the employer's share of contributions in the member's accounts in the Fund or the extent of advance granted out of the said share and the balance, if any, shall be credited to the member's own share or contribution in his account.

(10) If the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any of officer subordinate to him is satisfied that the advance granted under this paragraph has been utilised for a purpose other than that for which it was granted or that the member refused to accept an allotment or to acquire a dwelling site or that the conditions of advances have not been fulfilled or that there is reasonable apprehension that they will not be fulfilled wholly or partly, or that the excess amount will not be refunded in terms of clause (a) of sub-paragraph (9) or that the amount remitted back to the member by any agency referred to in clause (a) of sub-paragraph (1), will not be refunded in terms of clause (b) of sub-paragraph (9), the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner any officer subordinate to him, shall forthwith take steps to recover the amount due with penal interest thereon at the rate of two per cent per annum from the wages of the member in such number of instalments as the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, may determine, for the purpose of such recovery, the Commissioner or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him may direct the employer to deduct such instalment from the wages of the member and on receipt of such direction, the employer shall deduct accordingly. The amount so deducted, shall be remitted by the employer to the Fund within such time and in such manner as may be specified in the direction. The amount so refunded, excluding the penal interest, shall be credited to the employer's share of contributions in the member's account in the Fund to the extent of advance granted out of the said share and the balance, if any, shall be credited to the member's own share of contributions in his accounts the amount of penal interest shall however, be credited to the Interest Suspense Account.

(11) Where any advance granted under this paragraph has been misused by the member, no further advance shall be granted to him under this paragraph within a period of three years from the date of grant of the said advance or till the full recovery or the amount of the said advance, with penal interest thereon, whichever is later.

(12) The existing paragraph 65D shall be omitted.

NOTE

1. The Coal Mines Provident Fund Scheme 1948 published in the Gazette of India vide notification No. PF. 15(5)/48, dated 11-12-1948 and amended vide following notifications :—
2. No. PF. 15(9)/50. dated 9-1-1959.
3. No. PF. 15(9)/50, dated 23-2-1950.
4. S.R.O. 608, dated 28-4-1951.
5. S.R.O. 1595, dated 13-10-1951.
6. S.R.O. 138, dated 26-1-1952.
7. S.R.O. 317, dated 23-2-1952.
8. S.R.O. 795, dated 3-5-1952.
9. S.R.O. 1134. dated 28-6-1952.
10. S.R.O. 1212, dated 12-7-1952.
11. S.R.O. 1985, dated 29-11-1952.
12. S.R.O. 3306, dated 30-10-1954.
13. S.R.O. 1057, dated 14-5-1955.
14. S.R.O. 1208, dated 4-6-1955.
15. S.R.O. 1472, dated 9-7-1955.
16. S.R.O. 1747. dated 13-8-1955.
17. S.R.O. 1852, dated 27-8-1955.
18. S.R.O. 2041, dated 17-9-1955.
19. S.R.O. 2226, dated 8-10-1955.
20. S.R.O. 3480, dated 12-11-1955.
21. S.R.O. 366, dated 18-2-1956.
22. S.R.O. 999, dated 28-4-1956.
23. S.R.O. 1340, dated 9-6-1955.
24. S.R.O. 1398, dated 16-6-1956.
25. S.R.O. 1766, dated 4-8-1956.
26. S.R.O. 128, dated 12-1-1957.
27. S.R.O. 129, dated 12-1-1957.
28. S.R.O. 509, dated 16-2-1957.
29. S.R.O. 510, dated 16-2-1957.
30. S.R.O. 816. dated 16-3-1957.
31. S.R.O. 2564, dated 10-8-1957.
32. S.R.O. 3566, dated 9-11-1957.
33. S.R.O. 3899, dated 7-12-1957.
34. S.R.O. 238, dated 18-1-1958.
35. S.R.O. 424, dated 1-2-1958.
36. S.R.O. 511, dated 12-4-1958.
37. S.R.O. 2276, dated 17-9-1960.
38. S.R.O. 2278, dated 17-9-1960.
39. S.R.O. 2620, dated 4-11-1961.
40. S.R.O. 2778, dated 25-11-1961.
41. G.S.R. 1121, dated 26-8-1962.
42. G.S.R. 1173, dated 1-9-1962.
43. G.S.R. 1678, dated 8-12-1962.
44. G.S.R. 45, dated 5-1-1963.
45. G.S.R. 147, dated 26-1-1963.
46. G.S.R. 777, dated 4-5-1963.
47. G.S.R. 943, dated 1-6-1963.
48. G.S.R. 1061, dated 22-6-1963.
49. G.S.R. 1063, dated 22-6-1963.
50. G.S.R. 1245, dated 27-7-1963.
51. G.S.R. 1321, dated 10-8-1963.
52. G.S.R. 1428, dated 31-8-1963.
53. G.S.R. 1772, dated 16-11-1963.
54. G.S.R. 1979, dated 28-12-1963.
55. G.S.R. 128, dated 25-1-1964.
56. G.S.R. 690, dated 2-5-1964.
57. G.S.R. 767, dated 23-5-1964.
58. G.S.R. 843, dated 6-6-1964.
59. G.S.R. 845, dated 6-6-1964.
60. G.S.R. 1203, dated 29-8-1964.
61. G.S.R. 1681, dated 28-11-1964.
62. G.S.R. 404, dated 13-3-1965.
63. G.S.R. 425, dated 20-3-1965.
64. G.S.R. 1504, dated 16-10-1965.
65. G.S.R. 492. dated 1-4-1966.
66. G.S.R. 1221, dated 6-8-1966.
67. G.S.R. 1577, dated 15-10-1966.
68. G.S.R. 859, dated 3-6-1967.
69. G.S.R. 863, dated 3-6-1967.
70. G.S.R. 777, dated 27-5-1967.
71. G.S.R. 1646, dated 4-11-1967.
72. G.S.R. 157. dated 27-1-1968.
73. G.S.R. 1726, dated 21-9-1968.
74. G.S.R. 1140, dated 17-5-1969.
75. G.S.R. 2483, dated 1-11-1969.
76. G.S.R. 2491, dated 1-11-1969.
77. G.S.R. 531, dated 4-4-1970.
78. S.O. 54, dated 2-1-1970.
79. G.S.R. 14. dated 2-1-1971.
80. G.S.R. 1006, dated 10-7-1971.
81. G.S.R. 1814, dated 4-12-1971.
82. G.S.R. 1888, dated 25-12-1971.
83. G.S.R. 52, dated 1-1-1972.
84. G.S.R. 509, dated 29-4-1972.
85. G.S.R. 1087, dated 9-9-1972
86. G.S.R. 1187, dated 30-9-1972.
87. G.S.R. 1521, dated 2-12-1972.
88. G.S.R. 217, dated 3-3-1973.
89. G.S.R. 548, dated 26-5-1973.
90. G.S.R. 976, dated 8-9-1973.
91. G.S.R. 833, dated 3-8-1974.
92. G.S.R. 687, dated 31-5-1975.
93. G.S.R. 2772, dated 6-12-1975.
94. G.S.R. 845. dated 12-6-1976.
95. G.S.R. 1387, dated 25-9-1976.
96. G.S.R. 1391, dated 25-9-1976.
97. G.S.R. 1354, dated 11-11-1978.
98. G.S.R. 463; dated 24-3-1979.
99. G.S.R. 1013, dated 28-7-1979.
100. G.S.R. 907, dated 6-9-1980.
101. G.S.R. 991, dated 27-9-1980.
102. G.S.R. 1159, dated 8-11-1980.
103. G.S.R. 308, dated 15-3-1980.
104. G.S.R. 136, dated 7-2-1981.
105. G.S.R. 513, dated 15-7-1983.
106. G.S.R. 993, dated 24-11-1983.

[No. S-70011(1)/83-Adm. I (PF) (i)]

सा० का० नि० 568.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1984 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि स्कीम 1956 में,—

(क) विद्यमान पैरा 43 ख के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"43 ख निवास गृह के फ्लैट के क्रय के लिए या किसी निवास गृह के जिसके अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए समुचित स्थल का अर्जन भी है, संनिर्माण के लिए निधि से अग्रिम।

(1) आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा ऐसा प्राधिकृत किया गया हो, वहां उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी, ऐसे प्ररूप में जो आयुक्त द्वारा विहित किया जाए और इस पैरा में विहित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी सदस्य द्वारा किए गए आवेदन पर निधि में सदस्य के जमा खाते में जमा रकम से निम्नलिखित के लिए अप्रतिदेय अग्रिम मंजूर कर सकेगा :—

(क) निवास गृह या कोई ऐसा फ्लैट जिसके अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्ततः स्वामित्व वाले किसी भवन में का कोई फ्लैट भी है (पूर्णतया क्रय या अवशेष आधार पर) क्रय करने के लिए या ऐसे निवास गृह जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी सहकारी सोसाइटी संस्था, न्यास, स्थानीय निकाय या आवास वित्त निगम (जिसे इसमें इसके पश्चात् यथास्थिति अभिकरण/अभिकरणों कहा गया है) से इस प्रयोजन के लिए समुचित स्थल का अर्जन भी है, के संनिर्माण के लिए,

या

(ख) निवास गृह के संनिर्माण के प्रयोजन के लिए निवास स्थल या किसी व्यक्ति से निर्मित निवास गृह या कोई फ्लैट क्रय करने के लिए परन्तु यह तब जबकि क्रय किया जाने वाला उक्त गृह या फ्लैट नया और अनिवासित है,

या

(ग) सदस्य या सदस्य के पति/पत्नी या संयुक्ततः सदस्य और उसके पति/पत्नी द्वारा स्वामित्व वाले किसी स्थल पर निवास गृह के संनिर्माण के लिए, या ऐसे स्थल पर सदस्य या पति/पत्नी द्वारा पहले से ही प्रारम्भ कर दिए गए किसी निवास गृह के संनिर्माण को पूरा करने या जारी रखने के लिए,

या

(घ) सदस्य या सदस्य के पति/पत्नी या संयुक्ततः सदस्य और पति/पत्नी द्वारा स्वामित्व वाले विद्यमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए।

स्पष्टीकरण : (1) इस पैरा में स्पष्टीकरण—"सहकारी सोसाइटी" से सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 (1912 का 2) के अधीन या सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली कोई सोसाइटी अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण : (2) इस पैरा में नये और अनिवासित गृह या फ्लैट के तथ्य को भवन की रेखांक संख्या और अनुमोदन की तारीख गृह या फ्लैट के प्रारम्भ और पूरा होने की तारीख से संबंधित प्रमाणपत्रों और समुचित प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए कर संबंधी चलों और रसीदों के प्रतिनिवेश से और जहां आवश्यक हो वहां पड़ोस में की गई जांच द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(2) अग्रिम की रकम चौबीस मास की सदस्य की कुल उपलब्धियों या संदाय के प्राधिकरण की तारीख को सदस्य के जमा खाते में नियोजक के पचहत्तर प्रतिशत अभिदाय शेयर सहित उस पर जमा ब्याज सहित सदस्य के अपने अभिदाय के शेयर या निवास स्थल के अर्जन के मद्धे वास्तविक लागत उस पर संनिर्माण या निवास गृह के संनिर्माण की लागत सहित इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : निवास स्थल के अर्जन या निवास गृह या फ्लैट के क्रय के मद्धे वास्तविक लागत के अन्तर्गत ऐसे स्थल गृह या फ्लैट के रजिस्ट्रीकरण के मद्धे संदेय प्रभार भी होंगे।

(3) (क) इस पैरा के अधीन कोई भी अग्रिम तब तक नहीं दिया जाएगा तब तक कि :—

(1) सदस्य ने निधि की सदस्यता के बारह वर्ष पूरे न कर लिए हों,

(2) सदस्य का निधि में अपने जमा खाते में जमा अभिदाय का अपना शेयर उस पर ब्याज सहित 2000/- रुपए से कम नहीं है,

(3) निवास स्थल या निवास गृह या फ्लैट या निर्माणाधीन गृह या परिवर्धन या परिवर्तन विलंगमों से मुक्त न हो :

परन्तु जहां किसी निवास स्थल या निवास गृह या फ्लैट को केवल किसी निवास गृह या फ्लैट के क्रय के लिए या किसी निवास गृह जिसके अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए समुचित स्थल का अर्जन भी है, के संनिर्माण के लिए निधि अभिप्राप्त करने पर उप पैरा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट अभिकरणों में से किसी को बंधक कर दिया जाता है तो वहां यथास्थिति, ऐसा निवास स्थल या निवास गृह या फ्लैट विलंगमित सम्पत्ति नहीं माना जाएगा :

परन्तु यह और कि निवास गृह या फ्लैट के संनिर्माण के लिए शाश्वत पट्टे पर या 30 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए पट्टे पर अर्जित भूमि या ऐसी पट्टाकृत भूमि पर निर्मित गृह या फ्लैट विलंगमित सम्पत्ति नहीं माना जाएगा :

परन्तु यह और भी कि जहां निवास गृह या फ्लैट का स्थल उपपैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण के नाम में धारित है और आवंटिती को ऐसे अभिकरण के पूर्वानुमोदन के बिना गृह या फ्लैट का अन्तरण या उसका अन्यथा व्ययन करने से प्रवारित किया जाता है वहां मात्र यह तथ्य कि आवंटिती को गृह या फ्लैट का आत्यंतिक अधिकार या स्वामित्व नहीं है और स्थल अधिकरण के नाम में है, उपपैरा (1) के खण्ड (क) के अधीन अग्रिम दिए जाने के लिए कोई अर्जन नहीं होगा, यदि इस पैरा में वर्णित अन्य शर्तों को पूरा कर लिया जाता है।

(ख) कोई भी अग्रिम ऐसे स्थल के सिवाय जो संयुक्ततः पति/पत्नी के स्वामित्वाधीन हो संयुक्त सम्पत्ति में शेयर क्रय करने या संयुक्ततः स्वामित्व वाले स्थल पर गृह का संनिर्माण करने के लिए नहीं दिया जाएगा।

(4) उपपैरा (2) में विहित परिसीमा के अधीन रहते हुए,

(क) जहां अग्रिम उपपैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण से निवास गृह या फ्लैट या किसी निवास स्थल के क्रय के लिए है, वहां अग्रिम का संदाय सदस्य को नहीं किया जाएगा, अपितु एक या अधिक किश्तों में जैसा सदस्य द्वारा प्राधिकृत किया जाए, सीधे अभिकरण को किया जाएगा।

(ख) जहां अग्रिम किसी निवास गृह के संनिर्माण के लिए है, वहां वह दो समान किश्तों में पहला आवेदन पर और दूसरा तब जब संनिर्माण प्लिंथ स्तर पर पहुंच जाए, मंजूर किया जाएगा

(ग) जहां अग्रिम किसी व्यक्ति या अभिकरण से किसी निवास गृह के संनिर्माण के प्रयोजन के लिए निवास स्थल के अर्जन के लिए है, वहां रकम कम से कम दो समान किस्तों में संदत्त की जाएगी पहली किस्त निवास स्थल के अर्जन के समय और शेष ऐसे निवास स्थल पर निवास गृह के संनिर्माण के समय उसके अनुरोध पर ।

(घ) जहां अग्रिम विद्यमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए है वहां अग्रिम दो समान किस्तों में, पहला आवेदन के समय और दूसरा परिवर्धनों या परिवर्तनों के प्रारंभ के पश्चात् मंजूर किया जाएगा ।

(5) जहां अग्रिम निवास गृह के संनिर्माण के लिए मंजूर किया जाता है वहां संनिर्माण पहली किस्त निकाले जाने के छह मास के अन्दर प्रारम्भ किया जाएगा और अंतिम किस्त के निकाले जाने के बारह मास के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा । जहां अग्रिम निवास गृह या फ्लैट के क्रय के लिए या निवास स्थल के अर्जन के लिए मंजूर किया जाता है, वहां यथा-स्थिति, क्रय या अर्जन रकम निकाले जाने के छह मास के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा;

परन्तु यह उपबंध अवक्रय आधार पर निवास गृह/फ्लैट के क्रय किए जाने की दशा में और उन दशाओं में जहां निवास स्थल का अर्जन या गृहों का संनिर्माण अपने सदस्यों की ओर से किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा सदस्यों को उनके आवंटन की दृष्टि से किया जाना हो, लागू नहीं होगा ।

(6) उप पैरा (7) में विनिर्दिष्ट मामलों के सिवाय कोई और अग्रिम इस पैरा के अधीन किसी सदस्य को अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(7) सदस्य या पत्नि/पत्नी द्वारा अथवा संयुक्तः सदस्य और पति/पत्नी द्वारा स्वामित्व वाले निवास गृह के लिए आवश्यक परिवर्धन, पर्याप्त परिवर्तन या सुधार के लिए छह मास की कुल उपलब्धियों तक या सदस्य के अपने अभिदायों के शेयर तक निधि में उसके जमा खाते में जमा रकम पर ब्याज सहित, अतिरिक्त अग्रिम इन दोनों में से जो भी कम हो, ऐसे सदस्यों को दिया जा सकेगा जिनको एक बार और केवल एक किस्त में उपपैरा (1) के खण्ड (क) या (ख) या (ग) के अधीन अग्रिम दिया गया था ।

(8) सदस्य निरीक्षण के लिए एक विनेय और ऐसी अन्य दस्तावेजें जिनकी अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा जो अग्रिम दिए जाने के पश्चात् सदस्य को वापस लौटा दी जाएंगी ।

(9) (क) यदि इस पैरा के अधीन दिया गया अग्रिम उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए यह मंजूर किया गया था, वस्तुतः व्यय की गई रकम से अधिक है तो अतिरिक्त रकम सदस्य द्वारा क्रय को अन्तिम रूप दिए जाने या यथास्थिति, निवास गृह के संनिर्माण या उसमें आवश्यक परिवर्धन, परिवर्तन या सुधार पूरा कर दिए जाने के साठ दिन के अन्दर एक मुश्त रूप में निधि में वापस कर दी जाएगी । इस प्रकार वापस की गई रकम निधि में सदस्य के खाते में नियोजक के अभिदायों के शेयर में उक्त शेयर से दी गई अग्रिम की मात्रा तक जमा की जाएगी और अधिशेष, यदि कोई है, सदस्य के खाते में अभिदायों के उसके शेयर में जमा कर दिया जाएगा ।

(ख) यदि सदस्य को निवास स्थल या निवास गृह या कोई फ्लैट आवंटित नहीं किया जाता है या सदस्य को दिए गए आवंटन के रद्द किए जाने की दशा में और उप पैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अभिकरण द्वारा रकम के वापस किए जाने की दशा में या सदस्य के किसी व्यक्ति से निवास स्थल अर्जित करने या निवास गृह या कोई फ्लैट क्रय करने में या निवास गृह का संनिर्माण करने में असमर्थ रहने की दशा में सदस्य एक मुश्त रूप में और ऐसी रीति में जो आयुक्त द्वारा या जहां आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, वहां उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी, द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इस पैरा के अधीन उसको या यथास्थिति उप पैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अभिकरण को प्रेषित अग्रिम की रकम को निधि में वापस किए जाने का दायित्वाधीन होगा ।

इस प्रकार वापस की गई रकम निधि में सदस्य के खाते में नियोजक के अभिदायों के शेयर में उक्त शेयर से दी गई अग्रिम की मात्रा तक जमा कर दी जाएगी और अतिशेष, यदि कोई है, सदस्य के खाते में अभिदायों के उसके शेयर में जमा कर दिया जाएगा ।

(10) यदि आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, वहां उसका अधीनस्थ किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस पैरा के अधीन दिए गए अग्रिम का उपयोजन उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह दिया गया था, किया गया है, या यह कि सदस्य निवास गृह का आवंटन स्वीकार करने या उसे अर्जित करने से इंकार करता है या यह कि अग्रिम की शर्तों को पूरा नहीं किया गया है या यह कि इस बात की युक्तियुक्त आशंका है कि वे पूर्णतः या भागतः पूरी नहीं की जाएंगी या यह कि अतिरिक्त रकम उप पैरा (3) के खण्ड (क) के निबंधनों के अनुसार वापस नहीं की जाएगी या यह कि उप पैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण द्वारा सदस्य को वापस प्रेषित रकम उप पैरा (9) के खंड (ख) के निबंधनों के अनुसार वापस नहीं की जाएगी, तो आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो वहां उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी सदस्य की मजदूरी से सम्यक रकम, उस पर शास्तिक ब्याज सहित दो प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उतनी किस्तों में जितना आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, वहां उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, वसूल करने के लिए तुरंत कार्यवाही करेगा और ऐसी वसूली के प्रयोजन के लिए आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, वहां उसका अवधारित किया जाएगा, वसूल करने के लिए तुरंत कार्यवाही करेगा और ऐसी वसूली के प्रयोजन के लिए आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, वहां उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी नियोजक को सदस्य की मजदूरियों से ऐसी किस्तों की कटौती करने के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसे निदेश की प्राप्ति पर नियोजक तदनुसार कटौती करेगा । इस प्रकार कटौती की गई रकम नियोजक द्वारा ऐसे समय के अन्दर और ऐसी रीति में जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए निधि में प्रेषित की जाएगी । इस प्रकार वापस की गई रकम जिसके अन्तर्गत शास्तिक ब्याज नहीं है, निधि में सदस्य के खाते में नियोजक के अभिदायों के शेयर में उक्त शेयर से दी गई अग्रिम की मात्रा तक जमा की जाएगी और अतिशेष यदि कोई है, सदस्य के खाते में अभिदायों के उसके शेयर में जमा कर दिया जाएगा शास्तिक ब्याज की रकम ब्याज निलंबन लेखे में जमा की जाएगी ।

(11) जहां इस पैरा के अधीन दिए गए अग्रिम का सदस्य द्वारा दुरुपयोग किया गया है, तो उक्त अग्रिम दिए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर या उक्त अग्रिम की रकम उस पर शास्तिक ब्याज सहित पूर्ण रूप से वसूल किए जाने तक, इन दोनों में से जो भी पश्चात्वर्ती हो, इस पैरा के अधीन कोई और अग्रिम नहीं दिया जाएगा ।"

(ख) विद्यमान पैरा 43क का लोप किया जाएगा ।

टिप्पण

1. आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1956 का० नि० आ० 657, तारीख 12-3-1956 द्वारा भारत के राजपत्र के प्रकाशित की गई और उसमें निम्नलिखित उपांतरणों द्वारा संशोधन किए गए :—

2.	का० नि० आ०	2267	तारीख	6-10-1956
3.	"	130	"	12-1-1957
4.	"	912	"	23-3-1957
5.	"	3014	"	21-9-1957

6.	का० नि०आ०	3973	तारीख	14-12-1957
7.	"	239	"	18-1-1958
8.	"	423	"	1-2-1958
9.	"	512	"	12-4-1958
10.	"	1353	"	11-11-1958
11.	सा० का० नि०	1123	"	25-8-62
12.	"	1174	"	1-9-62
13.	"	1679	"	8-12-62
14.	"	52	"	5-1-63
15.	"	148	"	26-1-63
16.	"	664	"	20-4-63
17.	"	778	"	4-5-63
18.	"	946	"	1-6-63
19.	"	1064	"	22-6-63
20.	"	1164	"	6-7-63
21.	"	1322	"	10-8-63
22.	"	1980	"	28-12-63
23.	"	129	"	25-1-64
24.	"	768	"	23-5-64
25.	"	844	"	6-6-64
26.	"	1204	"	29-8-64
27.	"	1682	"	28-11-64
28.	"	230	"	30-1-65
29.	"	405	"	13-3-65
30.	"	426	"	20-3-65
31.	"	1505	"	16-10-65
32.	"	480	"	1-4-66
33.	"	2356	"	6-8-66
34.	"	1578	"	15-10-66
35.	"	743	"	20-5-67
36.	"	860	"	3-6-67
37.	"	864	"	3-6-67
38.	"	1647	"	4-11-67
39.	"	158	"	27-1-68
40.	"	1727	"	21-9-68
41.	"	1141	"	17-5-69
42.	"	2484	"	1-11-69
43.	"	2492	"	1-11-69
44.	का० नि०	55	"	2-1-70
45.	सा० का० नि०	528	"	4-4-70
46.	"	15	"	2-1-71
47.	"	1007	"	10-7-71
48.	"	1915	"	4-12-71
49.	"	1815	"	4-12-71
50.	"	53	"	1-1-72
51.	"	1088	"	9-9-72
52.	"	219	"	3-3-73
53.	"	549	"	26-5-73
54.	सा० का० नि०	977	तारीख	8-9-73
55.	"	834	"	2-8-74
56.	"	173	"	1-2-75
57.	"	688	"	31-5-75
58.	"	2773	"	6-12-75
59.	"	846	"	12-6-76
60.	"	1388	"	25-9-76
61.	"	1391	"	25-9-65
62.	"	464	"	24-3-79
63.	"	908	"	6-9-80
64.	"	992	"	27-9-80
65.	"	1160	"	8-11-80
66.	"	112	"	21-1-81
67.	"	137	"	7-2-81
68.	"	514	"	16-7-83
69.	"	994	"	24-12-83

[सं० एम-70011 (1)/83-श्रम-I (पी०एफ०) (ii)]

G.S.R. 568.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund Scheme, 1956, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1984.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund Scheme, 1956,—

(a) for the existing paragraph 43B, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"43B. Advance from the Fund for the purchase of a dwelling house/flat or for the construction of a dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose.

(1) The Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, may, on application from a member in such form as may be prescribed by the Commissioner and subject to the conditions prescribed in this paragraph, sanction from the amount standing to the credit of the member in the Fund, a non-refundable advance—

(a) for purchasing a dwelling house or a flat including a flat in a building owned jointly with others (outright or on hire purchase basis) or for constructing dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose from the Central Government, the State Government, a Cooperative Society, an institution, a trust, a local body or a Housing Finance Corporation (hereinafter referred to as the agency or agencies, as the case may be ;

OR

(b) for purchasing a dwelling site for the purpose of construction of a dwelling house or a ready-built dwelling house or a flat from any individual provided the said house or flat to be purchased is new and unlived one ;

OR

(c) for the construction of a dwelling house on a site owned by the member or the spouse of the member or jointly by the member and the spouse, or for completing or continuing the construction of a dwelling house already commenced by the member or the spouse, on such site ;

OR

(d) for making addition or alteration to an existing house owned by the member or the spouse of the member or jointly by the member and the spouse.

Explanation.—(1) In this paragraph, the explanation, 'Co-operative Society' means a society registered or deemed to be registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or under any other law for the time being in force in any State relating to Co-operative Societies.

Explanation.—(2) In this paragraph, the fact of a new and unlived house or flat shall be determined with reference to the certificates relating to the number and date of approval of the building plan, the date of commencement and completion of the house or the flat, and the tax bills and receipts issued by the appropriate authorities, and wherever necessary, by neighbourhood enquiries.

(2) The amount of advance shall not exceed the member's total emoluments for twenty four months or the member's own share of contribution together with 75% employers' share of contribution with interest thereon standing to his credit on the date of authorisation of payment or the actual cost towards the acquisition of the dwelling site together with the cost of construction thereon or the purchase of the dwelling house or flat or the construction of the dwelling house, whichever is the least.

Explanation.—The actual cost towards the acquisition of the dwelling site or the purchase of dwelling house or flat shall include charges payable towards registeration of such site, house or flat.

(3) (a) No advance under this paragraph shall be granted unless :—

(i) the member has completed twelve years' membership of the Fund ;

(ii) the member's own share of contribution with interest thereon standing to his credit in the Fund is not less than two thousand rupees ;

(iii) the dwelling site or the dwelling house or flat or the house under construction or addition or alteration free from encumbrances.

Provided that where a dwelling site or a dwelling house or a flat is mortgaged to any of the agencies referred to in clause (a) of sub-paragraph (1) solely for having obtained funds for the purchase of a dwelling house or a flat or for the construction of a dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose, such a dwelling site or a dwelling house or flat, as the case may be, shall not be deemed to be an encumbered property :

Provided further that a land acquired on a perpetual lease or a flat is mortgaged to any of the agencies referred to in tructing a dwelling house or a flat or a house or a flat built on such a leased land, shall also not be deemed to be an encumbered property :

Provided also that where the site of the dwelling house or flat is held in the name of any agency referred to in clause (a) of sub-paragraph (1) and the allottee is precluded from transferring or otherwise disposing of the house or flat without the prior approval of such agency, the mere fact that the allottee does not have absolute right or ownership of the house or flat and the site is held in the name of the agency, shall not be a bar to the giving of an advance under clause (a) of sub-paragraph (1), if the other conditions mentioned in this paragraph are satisfied.

(b) No advance shall be granted for purchasing a share in a joint property or for constructing a house on a site owned jointly except on a site owned jointly with the spouse.

(4) Subject to the limitation prescribed in sub-paragraph (2)—

(a) Where the advance is for the purchase of a dwelling house or a flat or a dwelling site from an agency referred to in clause (a) of sub-paragraph (1) the payment of advance shall not be made to the member but shall be made direct to the agency in one or more instalments, as may be authorised by the member ;

(b) Where the advance is for the construction of a dwelling house, it shall be sanctioned in two equal instalments, the first on application and the second when the construction reaches plinth level ;

(c) Where the advance is for the acquisition of a dwelling site for the purpose of construction of a dwelling house thereon from any individual or any agency, the amount shall be paid in not less than two equal instalments, the first instalment at the time of acquisition of the dwelling site and the remaining at his request at the time of construction of a dwelling house on such dwelling site ;

(d) When the advance is for making additions or alterations to an existing house, the advance shall be sanctioned in two equal instalments, first at the time of application and second after commencement of the additions or alterations.

(5) Where an advance is sanctioned for the construction of a dwelling house, the construction shall commence within six months of the withdrawal of the first instalment and shall be completed within twelve months of the withdrawal of the final instalment. Where the advance is sanctioned for the purchase of a dwelling house or a flat or for the acquisition of a dwelling site, the purchase or acquisition as the case may be, shall be completed within six months of the withdrawal of the amount :

Provided that this provision shall not be applicable in case of purchase of a dwelling house or flat on hire purchase basis and in cases where a dwelling site is to be acquired or houses are to be constructed by a Co-operative Society on behalf of its members with a view to their allotment to the members.

(6) Except in cases specified in sub-paragraph (7), no further advance shall be admissible to a member under this paragraph.

(7) An additional advance upto six months' total emoluments or the member's own share of contributions with interest thereon in the amount standing to his credit in the Fund whichever is less may be granted to members for whom advances had been granted under clause (a) or (b) or (c) of sub-paragraph (1), once and in one instalment only, for additions, substantial alterations or improvements necessary to the dwelling house owned by the member or by the spouse or jointly by the member and the spouse ;

Provided that the advance shall be admissible only after a period of five years from the date of completion of the dwelling house.

(8) The member shall produce the title deed and such other documents as may be required for inspection which shall be returned to the member after the grant of advance.

(9) (a) If the advance granted under this paragraph exceeds the amount actually spent for the purpose for which it was sanctioned, the excess amounts shall be refunded by the member to the Fund in one lumpsum within thirty days of the finalisation of the purchase, or the completion of the construction of, or necessary additions, alterations or improvements to a dwelling house, as the case may be. The amount so refunded shall be credited to the employers share of contributions in the member's account in the Fund to the extent of advance granted out of the said share and the

balance, if any, shall be credited to the member's share of contributions in his account.

(b) In the event of the member not having been allotted a dwelling site or a dwelling house or a flat, or in the event of the cancellation of an allotment made to the member and in the event of refund of the amount by the agency referred to in clause (a) of sub-paragraph (1) or in the event of the member not being able to acquire the dwelling site or to purchase the dwelling house or a flat from any individual or to construct the dwelling house, the member shall be liable to refund to the Fund in one lumpsum and in such manner as may be specified by the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, the amount of advance remitted under this paragraph to him or, as the case may be, to the agency referred to in clause (a) of sub-paragraph (1) ;

The amount so refunded shall be credited to the employer's share of contributions in the member's account in the Fund to the extent of advance granted out of the said share and the balance, if any, shall be credited to the member's own share of contributions in his account.

(10) If the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, is satisfied that the advance granted under this paragraph has been utilised for a purpose other than that for which it was granted or that the member refused to accept an allotment or to acquire a dwelling site or that the conditions of advances have not been fulfilled or that there is reasonable apprehension that they will not be fulfilled wholly or partly, or that the excess amount will not be refunded in terms of clause (a) of sub-paragraph (9) or that the amount remitted back to the member by any agency referred to in clause (a) of sub-paragraph (1), will not be refunded in terms of clause (b) of sub-paragraph (9), the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, shall forthwith take steps to recover the amount due with penal interest thereon at the rate of two per cent per annum from the wages of the member in such number of instalments as the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, may determine, for the purpose of such recovery, the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, may direct the employer to deduct such instalment from the wages of the member and on receipt of such direction the employer shall deduct accordingly. The amount so deducted shall be remitted by the employer to the Fund within such time and in such manner as may be specified in the direction. The amount so refunded excluding the penal interest, shall be credited to the employers' share of contributions in the member's account in the Fund to the extent of advance granted out of the said share and the balance, if any, shall be credited to the member's own share of contributions in his account. The amount of penal interest shall however, be credited to the Interest Suspense Account.

(11) Where any advance granted under this paragraph has been misused by the member, no further advance shall be granted to him under this paragraph within a period of three years from the date of grant of the said advance or till the full recovery of the amount of the said advance, with penal interest thereon, whichever is later." ;

(b) The existing paragraph 43D shall be omitted

NOTE

1. The Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund Scheme, 1956 published in the Gazette of India vide S.R.O. 657, dated 12-3-56 and amended vide the following notifications :—
2. S.R.O. 2267, dated 6-10-1956.
3. S.R.O. 130, dated 12-1-1957.
4. S.R.O. 912, dated 23-3-1957.
5. S.R.O. 3014, dated 21-9-1957.
6. S.R.O. 3973, dated 14-12-1957.
7. S.R.O. 239, dated 18-1-1958.
8. S.R.O. 423, dated 1-2-1958.
9. S.R.O. 512, dated 12-4-1958.
10. S.R.O. 1353, dated 11-11-1958.
11. G.S.R. 1123, dated 25-8-1962.
12. G.S.R. 1174, dated 1-9-1962.
13. G.S.R. 1679, dated 8-12-1962.
14. G.S.R. 52, dated 5-1-1963.
15. G.S.R. 148, dated 26-1-1963.
16. G.S.R. 664, dated 20-4-1963.
17. G.S.R. 778, dated 4-5-1963.
18. G.S.R. 946, dated 1-6-1963.
19. G.S.R. 1064, dated 22-6-1963.
20. G.S.R. 1164, dated 6-7-1963.
21. G.S.R. 1322, dated 10-8-1963.
22. G.S.R. 1980, dated 28-12-1963.
23. G.S.R. 129, dated 25-1-1964.
24. G.S.R. 768, dated 23-5-1964.
25. G.S.R. 844, dated 6-6-1964.
26. G.S.R. 1204, dated 29-8-1964.
27. G.S.R. 1682, dated 28-11-1964.
28. G.S.R. 230, dated 30-1-1965.
29. G.S.R. 405, dated 13-3-1965.
30. G.S.R. 426, dated 20-3-1965.
31. G.S.R. 1505, dated 16-10-1965.
32. G.S.R. 490, dated 1-4-1966.
33. S.O. 2356, dated 6-8-1966.
34. G.S.R. 1578, dated 15-10-1966.
35. G.S.R. 743, dated 20-5-1967.
36. G.S.R. 860, dated 3-6-1967.
37. G.S.R 864, dated 3-6-1967.
38. G.S.R. 1647, dated 4-11-1967.
39. G.S.R. 158, dated 27-1-1968.
40. G.S.R. 1727, dated 21-9-1968.
41. G.S.R. 1141, dated 17-5-1969.
42. G.S.R. 2484, dated 1-11-1969.
43. G.S.R. 2492, dated 1-11-1969.
44. S.O. 55, dated 2-1-1970.
45. G.S.R. 528, dated 4-4-1970.
46. G.S.R. 15, dated 2-1-1971.
47. G.S.R. 1007, dated 10-7-1971.
48. G.S.R. 1815, dated 4-12-1971.
49. G.S.R. 53, dated 1-1-1972.
50. G.S.R. 510, dated 29-4-1972.
51. G.S.R. 1088, dated 9-9-1972.
52. G.S.R. 219, dated 3-3-1979.
53. G.S.R. 549, dated 26-5-1973.
54. G.S.R. 977, dated 8-9-1973.
55. G.S.R. 834, dated 3-8-1974.
56. G.S.R. 173, dated 1-2-1975.
57. G.S.R. 688, dated 31-5-1975.
58. G.S.R. 2773, dated 6-12-1975.
59. G.S.R. 846, dated 12-6-1976.
60. G.S.R. 1388, dated 25-9-1976.
61. G.S.R. 1391, dated 25-9-1976.
62. G.S.R. 464, dated 24-3-1979.
63. G.S.R. 908, dated 6-9-1980.
64. G.S.R. 992, dated 27-9-1980.
65. G.S.R. 1160, dated 8-11-1980.
66. G.S.R. 112, dated 21-1-1981.
67. G.S.R. 137, dated 7-2-1981.
68. G.S.R. 514, dated 16-7-1983.
69. G.S.R. 994, dated 24-12-1983.

[No. S-70011(1)/83-Adm. I (PF) (ii)]

का० आ० सं० 569:—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान कोयला भविष्य निधि स्कीम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1984 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1956 में,—

(क) विद्यमान पैरा 42ख के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"42ख. निवास गृह फ्लैट के क्रय के लिए या किसी निवास गृह के जिसके अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए समुचित स्थल का अर्जन भी है, सनिर्माण के लिए निधि से अग्रिम।

(1) आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा ऐसा प्राधिकृत किया गया हो, वहां उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी, ऐसे प्ररूप में जो आयुक्त द्वारा विहित किया जाए और इस पैरा में विहित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी सदस्य द्वारा किए गए आवेदन पर निधि में सदस्य के जमा खाते में जमा रकम से निम्नलिखित के लिए अग्रिदेय अग्रिम मंजूर कर सकेगा—

(क) निवास-गृह या कोई ऐसा फ्लैट जिसके अंतर्गत अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्ततः स्वामित्व वाले किसी भवन में का कोई फ्लैट भी है (पूर्णतया क्रय या अवक्रय आधार पर) क्रय करने के लिए या ऐसे निवास-गृह जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी सहकारी सोसाइटी संस्था, न्यास, स्थानीय निकाय या आवास वित्त निगम (जिसे इसमें इसके पश्चात् यथास्थिति, अभिकरण/अभिकरणों कहा गया है) से इस प्रयोजन के लिए समुचित स्थल का अर्जन भी है, के सनिर्माण के लिए ;

या

(ख) निवास-गृह के संनिर्माण के प्रयोजन के लिए निवास स्थल या किसी व्यक्ति से निर्मित निवास-गृह या कोई फ्लैट क्रय करने के लिए परन्तु यह तब जबकि क्रय किया जाने वाला उक्त गृह या फ्लैट नया और अनिवासित है ;

या

(ग) सदस्य या सदस्य के पति/पत्नी या संयुक्तता सदस्य और उसके पति/पत्नी द्वारा स्वामित्व वाले किसी स्थल पर निवास-गृह के संनिर्माण के लिए, या ऐसे स्थल पर सदस्य या पति/पत्नी द्वारा पहले से ही प्रारंभ कर दिए गए किसी निवास-गृह के संनिर्माण को पूरा करने या जारी रखने के लिए ;

या

(घ) सदस्य या सदस्य के पति/पत्नी या संयुक्ततः सदस्य और पति/पत्नी द्वारा स्वामित्व वाले विद्यमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए।

स्पष्टीकरण:—(1) इस पैरा में स्पष्टीकरण—"सहकारी सोसाइटी" से सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अधीन या सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली कोई सोसाइटी अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण:—(2) इस पैरा में नये और अनिवासित गृह या फ्लैट के तथ्य को भवन की रेखांक संख्या और अनुमोदन की तारीख गृह या फ्लैट के प्रारंभ और पूरा होने की तारीख से संबंधित प्रमाण-पत्रों और समुचित प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए कर संबंधी विवरणों और रसीदों के प्रतिनिर्देश में और जहां आवश्यक हो, वहां पड़ोस में की गई जांच द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(2) अग्रिम की रकम चौबीस मास की सदस्य की कुल उपलब्धियों या संदाय के प्राधिकरण की तारीख को सदस्य के जमा खाते में नियोजक के पश्चात्वर्ती अभिदाय शेयर सहित उस पर जमा ब्याज सहित सदस्य के अपने अभिदाय के शेयर या निवास-स्थल के अर्जन के मद्दे वास्तविक लागत उस पर संनिर्माण या निवास-गृह के संनिर्माण की लागत सहित इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.—निवास स्थल के अर्जन या निवास गृह या फ्लैट के क्रय के मद्दे वास्तविक लागत के अंतर्गत ऐसे स्थल गृह या फ्लैट के रजिस्ट्रीकरण के मद्दे संदेय प्रभार भी होंगे।

(3)(क) इस पैरा के अधीन कोई भी अग्रिम तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि :—

(i) सदस्य ने निधि की सदस्यता के बारह वर्ष पूरे न कर लिए हों;

(ii) सदस्य का निधि में अपने जमा खाते में जमा अभिदाय का अपना शेयर उस पर ब्याज सहित 2000/- रुपए से कम नहीं है ;

(iii) निवास-स्थल या निवास-गृह या फ्लैट या निर्माणाधीन गृह या परिवर्धन या परिवर्तन विलगमों में मुक्त न हो :

परन्तु जहां किसी निवास-स्थल या निवास-गृह या फ्लैट को केवल किसी निवास-गृह या फ्लैट के क्रय के लिए या किसी निवास-गृह जिसके अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए समुचित स्थल का अर्जन भी है, के संनिर्माण के लिए निधि अभिप्राप्त करने का उपपैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अभिकरणों में से किसी को बंधक कर दिया जाता है तो वहां स्थिति, ऐसा निवास-स्थल या निवास-गृह या फ्लैट विलगमित सम्पत्ति नहीं माना जाएगा ;

परन्तु यह और कि निवास गृह या फ्लैट के संनिर्माण के लिए शाश्वत पट्टे पर या 30 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए पट्टे पर अर्जित भूमि या ऐसी पट्टाकृत भूमि पर निर्मित गृह या फ्लैट विलगमित सम्पत्ति नहीं माना जाएगा,

परन्तु यह और भी कि जहां निवास-गृह या फ्लैट का स्थल उपपैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण के नाम में धारित है और आबंटिती को ऐसे अभिकरण के पूर्वानुमोदन के बिना गृह या फ्लैट का अन्तरण या उसका अन्यथा व्ययन करने से प्रचारित किया जाता है वहां मात्र यह तथ्य कि आबंटिती को गृह या फ्लैट का आपत्तिक अधिकार या स्वामित्व नहीं है और स्थल अभिकरण के नाम में है, उपपैरा (1) के खण्ड (क) के अधीन अग्रिम दिए जाने के लिए कोई अर्जन नहीं होगा, यदि इस पैरा में वर्णित अन्य शर्तों को पूरा कर लिया जाता है।

(ख) कोई भी अग्रिम ऐसे स्थल के सिवाय जो संयुक्ततः पति/पत्नी के स्वामित्वाधीन हो, संयुक्त सम्पत्ति में शेयर क्रय करने या संयुक्ततः स्वामित्व वाले स्थल पर गृह का संनिर्माण करने के लिए नहीं दिया जाएगा।

(4) उपपैरा (2) में विहित परिसीमा के अधीन रहते हुए,—

(क) जहां अग्रिम उपपैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण से निवास-गृह या फ्लैट या किसी निवास-स्थल के क्रय के लिए है, वहां अग्रिम का संदाय सदस्य को नहीं किया जाएगा, अपितु एक या अधिक किस्तों में जैसा सदस्य द्वारा प्राधिकृत किया जाए, सीधे अभिकरण को किया जाएगा।

(ख) जहां अग्रिम किसी निवास-गृह के संनिर्माण के लिए है, वहां वह दो समान किस्तों में पहला आवेदन पर और दूसरा तब जब संनिर्माण विलंथ स्तर पर पहुंच जाए, मंजूर किया जाएगा।

(ग) जहां अग्रिम किसी व्यक्ति या अभिकरण से किसी निवास-गृह के संनिर्माण के प्रयोजन के लिए निवास स्थल के अर्जन के लिए है, वहां रकम कम से कम दो समान किस्तों में संदत्त की जाएगी, पहली किस्त निवास-स्थल के अर्जन के समय और शेष ऐसे निवास-स्थल पर निवास-गृह के संनिर्माण के समय उसके अनुरोध पर।

(घ) जहां अग्रिम विद्यमान-गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए है वहां अग्रिम दो समान किस्तों में, पहला आवेदन के समय और दूसरा परिवर्धनों या परिवर्तनों के प्रारंभ के पश्चात् मंजूर किया जाएगा।

(5) जहां अग्रिम निवास-गृह के संनिर्माण के लिए मंजूर किया जाता है वहां संनिर्माण पहली किस्त निकाले जाने के छह मास के अन्दर प्रारंभ किया जाएगा और अंतिम किस्त के निकाले जाने के बारह मास के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। जहां अग्रिम निवास-गृह या फ्लैट के क्रय के लिए या निवास-स्थल के अर्जन के लिए मंजूर किया जाता है वहां यथास्थिति, क्रय या अर्जन रकम निकाले जाने के छह मास के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा :

परन्तु यह उपबंध अवक्रय आधार पर निवास-गृह फ्लैट के क्रय किए जाने की दशा में और उन दशाओं में जहां निवास-स्थल का अर्जन या गृहों का संनिर्माण अपने सदस्यों की ओर से किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा सदस्यों को उनके आबंटन की दृष्टि से किया जाना हो, लागू नहीं होगा।

(6) उपपैरा (7) में विनिर्दिष्ट मामलों के सिवाय कोई और अग्रिम इस पैरा के अधीन किसी सदस्य को अनुज्ञेय नहीं होगा।

(7) सदस्य या पति/पत्नी द्वारा अथवा संयुक्ततः सदस्य और पति/पत्नी द्वारा स्वामित्व वाले निवास-गृह के लिए आवश्यक परिवर्धन, पर्याप्त परिवर्तन या सुधार के लिए छह मास की कुल उपलब्धियों तक या सदस्य के अपने अभिदायों के शेयर तक निधि में उसके जमा खाते में जमा रकम पर ब्याज सहित, अतिरिक्त अग्रिम इन दोनों में से जो भी कम हो, ऐसे सदस्यों को दिया जा सकेगा जिनको एक बार और केवल एक किस्त में उपपैरा (1) के खण्ड (क) या (ख) या (ग) के अधीन अग्रिम दिया गया था।

(8) सदस्य निरीक्षण के लिए हक विलेख और ऐसी अन्य दस्तावेजें जिनकी अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा जो अग्रिम दिए जाने के पश्चात् सदस्य को वापस लौटा दी जाएगी।

(9) (क) यदि इस पैरा के अधीन दिया गया अग्रिम उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह मंजूर किया गया था, वस्तुतः व्यय की गई रकम से अधिक है तो अतिरिक्त रकम सदस्य द्वारा क्रय को अंतिम रूप दिए जाने या यथास्थिति, निवास-गृह के संनिर्माण या उसमें आवश्यक परिवर्धन, परिवर्तन या सुधार पूरा कर दिए जाने के तीस दिन के अंदर एक मुश्त रूप से निधि में वापस कर दी जाएगी। इस प्रकार की वापस की गई रकम निधि में सदस्य के खाते में नियोजक के अभिदायों के शेयर में उक्त शेयर से दी गई अग्रिम की मात्रा तक जमा की जाएगी और अतिशेष, यदि कोई है, सदस्य के खाते में अभिदायों के उसके शेयर में जमा कर दिया जाएगा।

(ख) यदि सदस्य को निवास-स्थल या निवास-गृह का कोई फ्लैट आबंटित नहीं किया जाता है या सदस्य को किए गए आबंटन के रद्द किए जाने की दशा में और उपपैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अभिकरण द्वारा रकम के वापस किए जाने की दशा में या सदस्य के किसी व्यक्ति से निवास-स्थल अर्जित करने या निवास-गृह या कोई फ्लैट क्रय करने में या निवास-गृह का संनिर्माण करने में असमर्थ रहने की दशा में सदस्य एक मुश्त रूप में और ऐसी रीति में जो आयुक्त द्वारा या जहां आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, वहां उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी, द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इस पैरा के अधीन उसको या यथास्थिति उपपैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अभिकरण को प्रेषित अग्रिम की रकम को निधि में वापस किए जाने का दायित्वाधीन होगा।

इस प्रकार वापस की गई रकम निधि में सदस्य के खाते में नियोजक के अभिदायों के शेयर में उक्त शेयर से दी गई अग्रिम की मात्रा तक जमा कर दी जाएगी और अतिशेष, यदि कोई है, सदस्य के खाते में अभिदायों के उसके शेयर में जमा कर दिया जाएगा।

(10) यदि आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, वहां उसका अधीनस्थ किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस पैरा के अधीन किए गए अग्रिम /का उपयोजन उस प्रयोजन से अभिन्न प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह दिया गया था, किया गया है, या यह सदस्य निवास-गृह का आबंटन स्वीकार करने या उसे अर्जित करने से इंकार करता है या यह कि अग्रिम की शर्तों को /पूरा नहीं किया गया है या यह कि इस बात की युक्तियुक्त आशंका है कि वे पूर्णतः या भागतः पूरी नहीं की जाएगी या यह कि अतिरिक्त रकम उपपैरा (3) के खण्ड (क) के निबंधनों के अनुसार वापस नहीं की जाएगी या यह कि उपपैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण द्वारा सदस्य को वापस प्रेषित रकम उपपैरा (9) के खण्ड (ख) के निबंधनों के अनुसार वापस नहीं की जाएगी, तो आयुक्त जहां आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो वहां उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी सदस्य की मजदूरी से सम्यक रकम, उस पर शास्तिक ब्याज सहित दो प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उतनी किस्तों में जितना आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, वहां उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, वसूल करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा और ऐसी वसूली के प्रयोजन के लिए आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, वहां उसका अवधारित किया जाएगा, वसूल करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा और ऐसी वसूली के प्रयोजन के लिए आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत /किया गया हो, वहां उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी नियोजक को सदस्य की मजदूरियों से ऐसी किस्तों की कटौती करने के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसे निदेशक की प्राप्ति पर नियोजक तदनुसार कटौती करेगा। इस प्रकार कटौती की गई रकम नियोजक द्वारा ऐसे समय के अंदर और ऐसी रीति में जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए निधि में प्रेषित की जाएगी। इस प्रकार वापस की गई रकम जिसके अंतर्गत शास्तिक ब्याज नहीं है, निधि में सदस्य के खाते में नियोजक के अभिदायों के शेयर में उक्त शेयर से दी गई अग्रिम की मात्रा तक जमा की जाएगी और अतिशेष यदि कोई है, सदस्य के खाते में अभिदायों के उसके शेयर में जमा कर दिया जाएगा। शास्तिक ब्याज की रकम ब्याज निलंबन लेखे में जमा की जाएगी।

11. जहां इस पैरा के अधीन दिए गए अग्रिम का सदस्य द्वारा दुरुपयोग किया गया है, तो उक्त अग्रिम दिए जाने की तारीख से तीस वर्ष की अवधि के अंदर या उक्त अग्रिम की रकम उस पर शास्तिक ब्याज सहित पूर्ण रूप से वसूल किए जाने तक, इन दोनों में से जो भी पश्चातवर्ती हो, इस पैरा के अधीन कोई और अग्रिम नहीं दिया जाएगा।"

(ख) विद्यमान पैरा 42ध का लोप किया जाएगा।

टिप्पण:—राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1958 का.आ. 32 तारीख 11-2-1958 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई और उसमें निम्नलिखित उपांतरणों के द्वारा संशोधन किया गया :—

2.	का० आ० 423	तारीख	5-4-1958
3.	का० आ० 593	,,	14-3-1959
4.	सा० का० नि० 1122	,,	25-8-1962
5.	सा० का० नि० 1175	,,	1-9-1962

6.	सा०का०नि०	1680	तारीख	8-12-1962
7.	"	51	"	5-1-1963
8.	"	149	"	26-1-1963
9.	"	665	"	20-4-1963
10.	"	779	"	4-5-1963
11.	"	1062	"	22-6-1963
12.	"	1065	"	22-6-1963
13.	"	1323	"	10-8-1963
14.	"	1981	"	18-12-1963
15.	"	130	"	25-1-1964
16.	"	769	"	23-5-1964
17.	"	846	"	6-6-1964
18.	"	1205	"	29-8-1964
19.	"	1683	"	28-11-1964
20.	"	406	"	13-3-1965
21.	"	427	"	20-3-1965
22.	"	1506	"	16-10-1965
23.	"	491	"	1-4-1966
24.	"	1222	"	6-8-1966
25.	"	1579	"	15-10-1966
26.	"	744	"	20-5-1967
27.	"	861	"	3-6-1967
28.	"	865	"	3-6-1967
29.	"	1648	"	4-11-1967
30.	"	159	"	27-1-1968
31.	"	1724	"	21-9-1968
32.	"	1142	"	17-5-1969
33.	"	2405	"	1-11-1969
34.	"	2493	"	1-11-1969
35.	"	56	"	2-1-1970
36.	"	529	"	4-4-1970
37.	"	16	"	2-1-1971
38.	"	1816	"	4-12-1971
39.	"	54	"	1-1-1972
40.	"	511	"	20-4-1972
41.	"	1980	"	9-9-1972
42.	"	218	"	3-3-1973
43.	"	550	"	26-5-1973
44.	"	978	"	8-9-1973
45.	"	835	"	3-8-1974
46.	"	174	"	1-2-1975
47.	"	689	"	31-5-1975
48.	"	2774	"	6-12-1975
49.	"	847	"	12-6-1976
50.	"	1389	"	25-9-1976
51.	"	1252	"	11-11-1978
52.	"	463	"	24-3-1979
53.	"	909	"	6-9-1980
54.	"	993	"	27-9-1980
55.	"	1161	"	13-11-1980
56.	"	138	"	7-2-1981
57.	"	113	"	31-1-1981
58.	"	515	"	16-7-1983
59.	"	993	"	24-12-1983

[सं० एस-70011 (1)/83-प्रशा०-I(पी०एफ०) (iii)]
श्रीमती कु. मुद, निदेशक

G.S.R. 569.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme, 1956, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Rajasthan Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1984.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme, 1958,—

(a) for the existing paragraph 42B, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"42B. Advance from the Fund for the purchase of a dwelling house/flat or for the construction of a dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose.

(1) The Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, may, on application from a member in such form as may be prescribed by the Commissioner and subject to the conditions prescribed in this paragraph, sanctioned from the amount standing to the credit of the member in the Fund, a non-refundable advance—

(a) for purchasing a dwelling house or a flat including a flat in a building owned jointly with others (outright or on hire purchase basis), or for constructing dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose from the Central Government, the State Government, a Co-operative Society, an institution, a trust, a local body or a Housing Finance Corporation (hereinafter referred to as the agency or agencies, as the case may be);

OR

(b) for purchasing a dwelling site for the purpose of construction of a dwelling house or a ready-built dwelling house or a flat from any individual provided the said house or flat to be purchased is new and unlived one;

OR

(c) for the construction of a dwelling house on a site owned by the member or the spouse of the member or jointly by the member and the spouse, or for completion or continuing the construction of a dwelling house already commenced by the member or the spouse, on such site;

OR

(d) for making addition or alteration to an existing house owned by the member or the spouse of the member or jointly by the member and the spouse.

Explanation.—(1) In this paragraph, the explanation 'Co-operative Society' means a society registered or deemed to be registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or under any other law for the time being in force in any State relating to Co-operative Societies.

Explanation.—(2) In this paragraph, the fact of a new and unlived house or flat shall be determined with reference to the certificate relating to the number and date of approval of the building plan, the date of commencement and completion of the house or flat, and the tax bills and receipts issued by the appropriate authorities, and wherever necessary, by neighbourhood enquiries.

(2) The amount of advance shall not exceed the member's total emoluments for twenty four months or the member's own share of contribution together with 75% of employers

share of contribution with interest thereon standing to his credit on the date of authorisation of payment or the actual cost towards the acquisition of the dwelling site together with the cost of construction thereon or the purchase of the dwelling house or flat or the construction of the dwelling house, whichever is the least.

Explanation.—The actual cost towards the acquisition of the dwelling site or the purchase of dwelling house or flat shall include charges payable towards registration of such site, house or flat.

(3) (a) no advance under this paragraph shall be granted unless :—

(i) the member has completed twelve years membership of the Fund;

(ii) the member's own share of contribution with interest thereon standing to his credit in the Fund is not less than two thousand rupees;

(iii) the dwelling site or the dwelling house or flat or the house under construction or addition or alteration is free from encumbrances :

Provided that where a dwelling site or a dwelling house or a flat is mortgaged to any of the agencies referred to in clause (a) of sub-paragraph (1) solely for having obtained funds for the purchase of a dwelling house or a flat or for the construction of a dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose, such a dwelling site or a dwelling house or flat as the case may be, shall not be deemed to be an encumbered property;

Provided further that a land acquired on a perpetual lease or on lease for a period or not less than 30 years for constructing a dwelling house or a flat, or a house or a flat built on such a leased land, shall also not be deemed to be an encumbered property;

Provided also that where the site of the dwelling house or flat is held in the name of any agency referred to in clause (a) of sub-paragraph (1) and the allottee is precluded from transferring or otherwise disposing of the house or flat without the prior approval of such agency, the mere fact that the allottee does not have absolute right or ownership of the house or flat and the site is held in the name of the agency, shall not be a bar to the giving of an advance under clause (a) of sub-paragraph (1), if the other conditions mentioned in this paragraph are satisfied.

(b) No advance shall be granted for purchasing a share in a joint property or for constructing a house on a site owned jointly except on a site owned jointly with the spouse.

(4) Subject to the limitations prescribed in sub-paragraph (2)—(a) Where the advance is for the purchase of a dwelling house or a flat or a dwelling site from an agency referred in clause (a) of sub-paragraph (1), the payment of advance shall not be made to the member but shall be made direct to the agency in one or more instalments as may be authorised by the member;

(b) Where the advance is for the construction of a dwelling house, it shall be sanctioned in two equal instalments, the first on application and the second when the construction reaches plinth level;

(c) Where the advance is for the acquisition of a dwelling site for the purpose of construction of a dwelling house thereon from any individual or any agency, the amount shall be paid in not less than two equal instalments the first instalment at the time of acquisition of the dwelling site and the remaining at his request at the time of construction of a dwelling house on such dwelling site;

(d) When the advance is for making additions or alterations to an existing house the advance shall be sanctioned in two equal instalments, first at the time of application and second after commencement of the additions or alterations.

(5) Where an advance is sanctioned for the construction of a dwelling house, the construction shall commence within six months of the withdrawal of the first instalment and shall be completed within twelve months of the withdrawal of the final instalment. Where the advance is sanctioned for the purchase of a dwelling house or a flat or for the acquisition of a dwelling site, the purchase or acquisition as the case may be, shall be completed within six months of the withdrawal of the amount;

Provided that this provision shall not be applicable in case of purchase of a dwelling house or a flat on hire purchase basis and in cases where a dwelling site is to be acquired or houses are to be constructed by a Co-operative Society on behalf of its members with a view to their allotment to the members.

(6) Except in the cases specified in sub-paragraph (7), no further advance shall be admissible to a member under this paragraph.

(7) An additional advance upto six months' total emoluments or the member's own share of constructions with interest thereon in the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, may be granted to members for whom advances had been granted under clause (a) or (b) or (c) of sub-paragraph (1), once and in one instalment only, for additions, substantial alterations or improvements necessary to the dwelling house owned by the member or by the spouse or jointly by the member and the spouse :

Provided that the advance shall be admissible only after a period of five years from the date of completion of the dwelling house.

(8) The member shall produce the title deed and such other documents as may be required for inspection which shall be returned to the member after the grant of advance.

(9) (a) If the advance granted under this paragraph exceeds the amount actually spent for the purpose for which it was sanctioned, the excess amount shall be refunded by the member to the Fund in one lumpsum within thirty days of the finalisation of the purchase, or the completion of the construction of, or necessary additions, alterations or improvements to a dwelling house, as the case may be. The amount so refunded shall be credited to the employers' share of contributions in the member's account in the Fund to the extent of advance granted out of the said share and the balance, if any, shall be credited to the member's share of contributions in his account.

(b) In the event of the member not having been allotted a dwelling site or a dwelling house or a flat, or in the event of the cancellation of an allotment made to the member and in the event of refund of the amount by the agency, referred to in clause (a) of sub-paragraph (1) or in the event of the member not being able to acquire the dwelling site or to purchase, the dwelling house or a flat from any individual or to construct the dwelling house, the member shall be liable to refund to the Fund in one lumpsum and in such manner as may be specified by the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, the amount of advance remitted under this paragraph to him or as the case may be, to the agency referred to in clause (a) of sub-paragraph.

The amount so refunded shall be credited to the employers' share of contributions in the member's account in the Fund to the extent of advance granted out of the said share, and the balance, if any, shall be credited to the member's own share of contribution in his account.

(10) If the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, is satisfied that the advance granted under this paragraph has been utilised for a purpose other than that for which it was granted or that the member refused to accept an allotment or to acquire a dwelling site or that the conditions of advances have not been fulfilled or that there is reasonable apprehension that they will not be fulfilled wholly or partly, or that the excess amount will not be refunded in terms of clause (a) of sub-

paragraph (9) or that the amount remitted back to the member by any agency referred to in clause (a) of sub-paragraph (1) will not be refunded in terms of clause (b) of sub-paragraph (9), the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, shall forthwith take steps to recover the amount due with penal interest thereon at the rate of two per cent per annum from the wages of the member in such number of instalments as the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, may determine. For the purpose of such recovery, the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him may direct the employer to deduct such instalment from the wages of the member and on receipt of such direction, the employer shall deduct accordingly. The amount so deducted, shall be remitted by the employer to the Fund within such time as may be specified in the direction. The amount so refunded, excluding the penal interest, shall be credited to the employers' share of contributions in the member's account in the Fund to the extent of advance granted out of the said share and the balance, if any, shall be credited to the member's own share of contributions in his account. The amount of penal interest shall, however, be credited to the Interest Suspense Account.

11. Where any advance granted under this paragraph has been misused by the member, no further advance shall be granted to him under this paragraph within a period of three years from the date of the said advance or till the full recovery of the amount of the said advance, with penal interest thereon, whichever is later." ;

(b) The existing paragraph 42D shall be omitted.

NOTE :

1. The Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme, 1958 published in the Gazette of India vide S.O. 32, dated 11-2-1958 and amended vide following notifications :—

2. S.O. 423, dated 5-4-1958.
3. S.O. 593, dated 14-3-1959.
4. G.S.R. 1122, dated 25-8-1962.
5. G.S.R. 1175, dated 1-9-1962.
6. G.S.R. 1680, dated 8-12-1962.
7. G.S.R. 51, dated 5-1-1963.
8. G.S.R. 149, dated 26-1-1963.
9. G.S.R. 665, dated 20-4-1963.
10. G.S.R. 779, dated 4-5-1963.
11. G.S.R. 1062, dated 22-6-1963.
12. G.S.R. 1065, dated 22-6-1963.
13. G.S.R. 1323, dated 10-8-1963.
14. G.S.R. 1981, dated 18-12-1963.
15. G.S.R. 130, dated 25-1-1964.
16. G.S.R. 769, dated 23-5-1964.
17. G.S.R. 846, dated 6-6-1964.
18. G.S.R. 1205, dated 29-8-1964.
19. G.S.R. 1583, dated 28-11-1964.
20. G.S.R. 406, dated 13-3-1965.
21. G.S.R. 427, dated 20-3-1965.
22. G.S.R. 1506, dated 16-10-1965.
23. G.S.R 491, dated 1-4-1966.
24. G.S.R. 1222, dated 6-8-1966.
25. G.S.R. 1579, dated 15-10-1966.
26. G.S.R. 744, dated 20-5-1967.
27. G.S.R. 861, dated 3-6-1967.
28. G.S.R. 865, dated 3-6-1967.
29. G.S.R. 1648, dated 4-11-1967.
30. G.S.R. 159, dated 27-1-1968.
31. G.S.R. 1724, dated 21-9-1968.
32. G.S.R. 1142, dated 17-5-1969.
33. G.S.R. 2485, dated 1-11-1969.
34. G.S.R. 2493, dated 1-11-1969.
35. G.S.R. 56, dated 2-1-1970.
36. G.S.R. 529, dated 4-4-1970.
37. G.S.R. 16, dated 2-1-1971.
38. G.S.R. 1816, dated 4-12-1971.
39. G.S.R. 54, dated 1-1-1972.
40. G.S.R. 511, dated 29-4-1972.
41. G.S.R. 1980, dated 9-9-1972.
42. G.S.R. 218, dated 3-3-1973.
43. G.S.R. 550, dated 26-5-1973.
44. G.S.R. 978, dated 8-9-1973.
45. G.S.R. 835, dated 3-8-1974.
46. G.S.R. 174, dated 1-2-1975.
47. G.S.R. 689, dated 31-5-1975.
48. G.S.R 2774, dated 6-12-1975.
49. G.S.R. 847, dated 12-6-1976.
50. G.S.R 1389, dated 25-9-1976.
51. G.S.R. 1252, dated 11-11-1978.
52. G.S.R. 465, dated 24-3-1979.
53. G.S.R 909, dated 6-9-1980.
54. G.S.R. 993, dated 27-9-1980.
55. G.S.R. 1161, dated 18-11-1980.
56. G.S.R. 138, dated 7-2-1981.
57. G.S.R. 113, dated 31-1-1981.
58. G.S.R. 515, dated 16-7-1983.
59. G.S.R. 995, dated 24-12-1983.

[No. S-70011(1)/83-Adm. I (PF) (iii)]
(SMT.) K. SOOD, Director

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 19 मई, 1984

सा० का० नि० 570 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि और सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, अन्दमान और निकोबार द्वीप के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और सहकारिता विभाग (रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, अन्दमान और निकोबार द्वीप) भर्ती नियम, 1983 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो, वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6क
रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	1100-50-1600 रु०	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)	नहीं

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य । (2) किसी मान्यताप्राप्त सहकारी संस्था से सहकारिता में प्रशिक्षण । (3) सहकारिता के क्षेत्र में किसी पर्यवेक्षी हैसियत में 8 वर्ष का अनुभव, जिसके अन्तर्गत सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की समपरीक्षा करने का अनुभव भी है । टिप्पण :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा के आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । वांछनीय : (1) उच्च लेखाकर्म अर्थशास्त्र या कृषि में अर्हताएं । (2) हिन्दी का ज्ञान ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
10	11
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कार्डर-दायित्व पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (1) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (1) जो समुचित पद धारण किये हुए हैं; या

10	11
	(2) जिन्होंने 700-1300 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष सेवा की है; और या (3) जिन्होंने 650-1200 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 में सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो, उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) श्रेणी "क" विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, अन्दमान और निकोबार द्वीप—सदस्य 3. सहकारिता का भारसाधक सचिव, अन्दमान और निकोबार द्वीप—सदस्य 4. कृषि और सहकारिता विभाग का एक प्रतिनिधि—सदस्य	सीधी भर्ती, किसी अधिकारी का प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए चयन और इन नियमों के किसी उपबंध को शोधन/शिथिल करते समय।

[सं० ए-11041/20/80- सी .पी. सी.]

ए० आर. सुब्बैया, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 19th May, 1984

G.S.R. 570.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Registrar of Cooperative Societies, Andaman & Nicobar Islands in the Department of Agriculture & Cooperation under the Ministry of Agriculture, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Agriculture and Cooperation (Registrar of Cooperative Societies), Andaman and Nicobar Islands Recruitment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and the scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	6a
Registrar of Cooperative Societies	1	General Central Service Group 'A' Gazetted	1100-50-1600	Not applicable	Not exceeding 40 years (Relaxable for Govt. servants by 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	No

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancier to be filled by various methods
7	8	9	10
Essential : (i) Degreo of a recognised University or equivalent. (ii) Training in Cooperation at a recognised Cooperative Institution. (iii) 8 years' experience in a supervisory capacity in the field of Cooperation including experience of auditing accounts of Co-operative Societies. Note : Qualifications are relaxable at the descretion of the UPSC in the case of candidates otherwise well qualified. Desirable : (i) Qualifications in Advanced Accountancy, Economics or Agriculture. (ii) Knowledge of Hindi.	Not applicable	2 years	By transfer on deputation failing, which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grados from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted
11	12	13
Transfer on deputation : (i) Officers under the Central/State Government and Union Territories : (a) (i) h lding anal g us p sts; r (ii) with five years' service in posts in the scale of Rs. 700-1300 or equivalent; or (iii) with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent; and (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. (Period of deputation, including period of deputation in another ex cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years).	1. Grade A DPC (for considering confirmation): 1. Member of UPSC —Chairman 2. Chief Secretary, Anadaman & Nicobar Islands —Member. 3. Secretary in charge of Cooperation, Andaman & Nicobar Islands —Member 4. One representative of the Department of Agriculture and Cooperation —Member	While making direct recruitment, selecting an officer for appointment on deputation and amending/ relaxing any of the provisions of these rules.

[No.A-11041/20/80-CPC]
A.R. SUBBIAH, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 मई, 1984

सा०का०नि०571—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय, फरिदाबाद में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अविषालुता विज्ञान) के पद पर भर्ती नियमों का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अविषालुता विज्ञान) भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वनस्पति रक्षण संगरोध और संचयन निदेशालय कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अविषालुता विज्ञान) भर्ती नियम, 1979 के नियम 5 में "निश्चय करते" शब्दों के पश्चात "और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात" शब्द जोड़े जाएंगे।

टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3(i) तारीख 15-12-79 में पृष्ठ 2918 पर कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अधिसूचना सं०सा०का०नि० 1494, तारीख 30 नवम्बर, 1979 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

[सं० 13-7/78-पी पी]

New Delhi, the 25th May, 1984

G.S.R. 571.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the recruitment rules to the post of Junior Scientific Officer (Toxicology) in the Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, Junior Scientific Officer (Toxicology) 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage—Junior Scinetific Officer (Toxicology) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 5 of Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage—Junior Scientific Officer (Toxicology) Recruitment Rules, 1979, after the words "recorded in writing", the words "and in consultation with Union Public Service Commission", shall be inserted.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i), dated 15-12-79 at page 2918, vide Government notification, Ministry of Agriculture & Irrigation No. GSR 1494, dated 30th November, 1979.

[No. 13-7/78-PP.II]

सा० का० नि० 572.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय के ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (विष-विज्ञान) भर्ती नियम 1979 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वनस्पति रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (विष-विज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (विष-विज्ञान) भर्ती नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :— वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6क
ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (विष विज्ञान)	1* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित	550-25-750-ई०बी०-30-900 ई०	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	नहीं

1	2	3	4	5	6	6क
						टिप्पणी : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख में, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा विष-विज्ञान में स्नातक की उपाधि या समतुल्य। (2) स्तनधारी जीव विष विज्ञान परीक्षण और पशु प्रयोग/ऊतक वैज्ञानिक तथा कोशिका विज्ञान में 5 वर्ष का अनुभव। टिप्पणी : 1. अर्हताएं, अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।	नहीं	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो, उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा
10	11	12	13
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे तकनीकी सहायक (विष-विज्ञान) जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. सचिव, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड—अध्यक्ष 2. निदेशक, प्रशासन विपणन और निरीक्षण निदेशालय—सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी—सदस्य 4. सहायक निदेशक (वनस्पति संरक्षण)—सदस्य। 5. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला—सदस्य	सीधे भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक

टिप्पणी : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

[सं० 13-16/78-पी पी एस]

ए० एस० सिंह, अवर सचिव

G.S.R. 572.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage Senior Technical Assistant (Texicology) Recruitment Rules, 1979, except as respects things done or committed to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Technical Assistant (Texicology) in the Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and storage Senior Technical Assistant (Texicology) Recruitment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Scheduled annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contemplated a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6	7
Senior Technical Assistant (Toxicology).	1*(1984) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted.	Rs. 550-25-750-EB-30-900.	Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accorcance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note : The crucial date for determing the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	No

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8	9	10	11
Essential : (i) Bachelor's Degree in Medical Toxicology from a recognised University or equivalent.	No.	Two years.	By promotion failing which by direct recruitment.

8	9	10	11
(ii) 5 year's experience in mammalian toxicology testing and animal experimentation/histopathology and cytology. Note 1:—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the the Union Public Service Commssion in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidatets from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/-deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion : Technical Asstt. (Toxicology) with 5 years' regular service in the grade.	Group 'B' Departmental Promotion Committee :— 1. Secretary Central Insecticide Board—Chairman 2. Director o Administration, Directorate of Marking & Insepection—Member. 3. Chief Administrative Officer—Member 4. Assistant Director (Plant Protection)— —Member. 5. Administrative Officer Central Insecticides Laboratory—Member. Note :—The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with the UPSC necessary while making direct recruitment.

[No. 13-16/78-PPS]

A.M. SINGH, Under Secy.

सिंचाई मंत्रालय

नई दिल्ली 21 मई, 1984

सा० का० नि० 573 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सिंचाई विभाग मुख्य इंजीनियर (लघु सिंचाई) भर्ती नियम, 1968 को अधिक्रांत करते हुए सिंचाई मंत्रालय में मुख्य इंजीनियर (लघु सिंचाई) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिंचाई मंत्रालय, मुख्य इंजीनियर (लघु सिंचाई) भर्ती नियम, 1984 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो, इससे इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बातें ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	(6क)
मुख्य इंजीनियर (लघु सिंचाई)	एक* (1984) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	2250-125/2-2500 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
10	11
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों/अर्द्ध सरकारी स्वायत और कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने अधीक्षण इंजीनियर की या समतुल्य पंक्ति के पदों में 7 वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग/कृषि इंजीनियरिंग में उपाधियां या समतुल्य। (ii) बड़ी/मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनाओं (जिनके अन्तर्गत नलकूप और सिंचाई प्रणाली पद्धति भी है) के अनुरक्षण और संचालन में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। 2. विभागीय संयुक्त आयुक्त (जल प्रयोग) जिसने इस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है, पर भी विचार किया जाएगा और उसके पद पर नियुक्ति के लिए चयनकर लिए जाने की दशा में वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी भी प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी संगठन/विभाग में धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा
12	13
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. सचिव, सिंचाई मंत्रालय—अध्यक्ष 2. अपर सचिव, सिंचाई मंत्रालय—सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्रशा०), सिंचाई मंत्रालय—सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	चयन प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जायगा।

[सं० 9/7/83-प्रशा०]

जे०के० मरवाहा, अवर सचिव

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 21st May, 1984.

G.S.R. 573.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Agriculture, Chief Engineer (Minor Irrigation) Recruitment Rules, 1968, the President hereby makes the following rules regulatin the method of recruitment to the post of Chief Engineer (Minor Irrigation) in the Ministry of Irrigation, namely:—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Ministry of Irrigation, Chief Engineer (Minor Irrigation) Recruitment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Mumber of posts, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the cale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Mothod of recruitment, age limit, other qualifications, etc., —The method of recruitment , age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that, the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay
Chief Engineer (Minor Irrigation)	One* (1984) *(Subject to variation dependent on workload)	Ganeral Central Service, Group 'A' Gdzetted, Non-Ministerial.	Rs. 2250-125/2-2500

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service addmissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
5	6	6(a)	7
Not applicable	Not applicable	Not appliable	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8	9	10
Not applicable.	Two years	By promotion/transfer on deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists, what is its composition.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consultaed in making rectt.
11	12	13
Promotion/transfer on deputation (including shortterm contract): 1. Officers under the Central government/ State governments/Agricultural Universities/Recognised Research Institutions or Councils/Semi-government, Autonomous and Statutory Organisations; (a)(i) holding analogous posts; or (ii) with 7 years' service in posts in the rank of Superintending Engin er or equivalent: and (b) possessing the following educational qualifications and experience :— (i) Degree in Civil Engineering/Agricultural Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) experience in the maintenance and operation of major/medium minor irrigation projects including tubowells and irrigation drainage systems for at least 2 years. 2. The Departmental Joint Commissoiner (Water Utilisation)with 5years' regular service in the grade will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. (Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment a on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre. p st held immediately preceding this appointment in the same organisation/ department shall not exceed 5 years).	Group 'A' D.P.C. (for considering confirmation) 1. Secretary, Ministry of Irrigation-Chairman. 2. Additilional Secretary Ministry of Irrigation—Member. 3. Joint Secretary (Administration), Ministry of Irrigation- -Member. Note : The proceedings of the D.P.C. relating to confirmation shall be sent to the U.P.S.C. for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion C mmittee to be presided over by the Chairman or a Member of the U.P.S.C. shall be held.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the U.P.S.C.

[F. No. 9/7/83-Admn.]
J. K. MARWAHA, Under Secy.

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1984

सा० का० नि० 374.—जब कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की नियमावली, 1972 के नियम 3 के अनुसरण में भारत सरकार ने एक पंजीकृत सोसायटी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का संकल्प संख्या एफ 30-1-1983-यू० 3 दिनांक 7 अक्टूबर, 1983 द्वारा पुनर्गठन किया;

और जबकि भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुशील चौधरी और शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में विशेष सचिव श्री किरीट जोशी को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का सदस्य मनोनीत करने का निर्णय किया है।

अतः अब भारत सरकार एतद्द्वारा सरकार के संकल्प संख्या एफ 30-1/83-यू० 3 दिनांक 7-10-83 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

(i) उक्त संकल्प में उप पैरा II के अंतर्गत क्रमांक 18 और 19 'भारत सरकार द्वारा मनोनीत अठारह इतिहासकार' के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"18 प्रोफेसर सुशील चौधरी, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता

19. प्रोफेसर रवीन्द्र कुमार निदेशक, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली।"

(ii) उक्त संकल्प में क्रम संख्या 26 भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार व्यक्ति के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"26. श्री किरीट जोशी, विशेष सचिव, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली।"

[सं० एफ० 30/1/83-यू० 3]
गुरबख्श सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE

(Department of Education)

New Delhi, the 30th April, 1984

G.S.R. 574.—Whereas in pursuance of Rule 3 of the Rules of the Indian Council of Historical Research, New Delhi 1972, the Government of India reconstituted the Indian Council of Historical Research, a registered society vide Resolution No. F. 30-1/83-U.3 dated the 7th October, 1983;

And whereas, the Government of India have decided to nominate Prof. Susheel Chaudhuri, Calcutta University, and Shri Kireej Joshi, Special Secretary, Ministry of Education and Culture to be members of the Indian Council of Historical Research, New Delhi.

Now, therefore, the Central Government hereby makes the following amendments in the Government Resolution No. F. 30-1/83-U.3 dated 7-10-83, namely :—

(i) In the said Resolution for S. Nos. 18 and 19 under sub para II, 'Eighteen historians nominated by the Government of India' the following shall be substituted, namely :—

"18. Prof. Susheel Chaudhuri, University of Calcutta, Calcutta.

19. Prof. Ravinder Kumar,
Director, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi".

(ii) In the said Resolution, for S. N. 26 'Four persons to represent Government of India, the following shall be substituted, namely :—

"26. Shri Kireet Joshi,
Special Secretary,
Ministry of Education & Culture,
New Delhi."

[F. 30-1/83-U. 3]
GURBAX SINGH, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 4 मई, 1984

सा० का०नि० 575:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (वैज्ञानिक अधिकारी व ट्यूटर) भर्ती नियम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (वैज्ञानिक अधिकारी व ट्यूटर) भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 होगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (वैज्ञानिक अधिकारी व ट्यूटर) भर्ती नियम, 1976 की अनुसूची के स्तम्भ 6 के अंतर्गत प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए अर्थात्:—

"35 वर्ष से अधिक नहीं।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय)"

टिप्पण :—

मुख्य नियम अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1561 के दिनांक 18-10-1976 में प्रकाशित हुए थे।

[सं० ए-12018/12/83-एम (एफ एंड एस) एम० ई० (पी० जी०)

प्रकाश चन्द्र जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 4th May, 1984

G.S.R. 575.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Pondicherry (Scientific Officer-cum-Tutor) Recruitment Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Scientific Officer-cum-Tutor) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Scientific Officer-cum-Tutor) Recruitment Rules, 1977, for the entry under column 6 the following entry shall be substituted, namely :—

"Note exceeding 35 years.
(Relaxable upto 5 years for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)".

Note.—Principal rules published vide Notification No. G.S.R. 1561 dated 18-10-1976.

[No. A-12018/12/83-M (F&S)/ME(PG)]

नई दिल्ली, 26 मई, 1984

सा० का० नि० 576.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी में शहरी कुष्ठ कार्यकर्ता के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :—1. इन नियमों का नाम जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (शहरी कुष्ठ कार्यकर्ता) भर्ती नियम, 1984 होगा।

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हतायें आदि : उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयुसीमा अर्हतायें तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में निर्दिष्ट है।

4. अनर्हता : कोई व्यक्ति : (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा (ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है/होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों से किसी उपबंध से छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति : इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा गैर चयन पद	सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयुसीमा	क्या सेवा में जोड़े गये वर्षों का लाभ केन्द्रीय लिपिकीय सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत मान्य होगा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
महरी कुष्ठ कार्यकर्ता	*एक (1984) *कार्यभार के अनुसार इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित	330-10-380-द०रो०-12-500" द०रो०-15-560 रुपये	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय नोट : आयुसीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।	नहीं	अनिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक या उसके समतुल्य योग्यता (2) कुष्ठ नियंत्रण में छः माह का प्रशिक्षण (3) कुष्ठ अर्ध-चिकित्सा कार्यकर्ता के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव वांछनीय : (1) स्नातक और कुष्ठ नियंत्रण छः माह का प्रशिक्षण (3) स्वास्थ्य शिक्षा में दो माह का ओरिएंटेशन और कुष्ठ नियंत्रण के फील्ड कार्य का अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती होती तो वे ग्रेड जिनमें पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना (1) निदेशक, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी—अध्यक्ष (2) चिकित्सा अधीक्षक, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा, और अनुसंधान संस्थान, पांडि-	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13	14
				(3) उप-निदेशक (प्रशासन)/ प्रशासन/अधिकारी, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पाँडिचेरी—सदस्य (4) समूह "क" का एक अधिकारी—सदस्य	

[सं० ए-12018/1/84—एम० (एफ एंड एस)/एम०ई० (पी० जी०)]

प्रकाश चन्द जैन, अवर सचिव

New Delhi, the 26th May, 1984

G.S.R. 576.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Urban Leprosy Worker in the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Urban Leprosy Worker) Recruitment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications:—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post.	Classification	Scale of pay	Whetheer Selection post or Non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 72	Educational and other qualification for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	8
Urban Leprosy Worker	1* (1984) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted.	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not applicable	18—28 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining	No	Essential : (1) Matriculation or its equivalent from a recognised University or Board. (2) Six months training in leprosy control. (3) Experience of 5 years' work as leprosy para-medical worker. Desirable :

6	7	8
the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).		(1) A graduate with training in leprosy control for 6 months. (2) Two months orientation in health education and experience in the field work in leprosy control.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstance in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By direct recruitment.	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee, comprising of —— (1) Director, Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Pondicherry—Chairman. (2) Medical Superintendent, Jawaharlal Institute of Post-graduate Medial Education and Research, Pondicherry —Member. (3) Deputy Director (Admn.)/Administrative Officer, Jawarharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Pondicherry—Member (4) A Group 'A' Officer —Member.	Not applicable

[No. A-12018/1/84-M/(F&S) ME(PG)]

P.C. JAIN, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 23 मई, 1984

सा० का० नि० 377.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संचार मंत्रालय में सहायक निदेश (क्रीड़ा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार मंत्रालय, सहायक निदेशक (क्रीड़ा) भर्ती नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6क
सहायक निदेशक (क्रीड़ा) संयुक्त सचिव, क्रीड़ा नियंत्रण बोर्ड	1* (1983)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित	650-30-740-35-810-द०रो० 880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।
10	11
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहे ऐसे अधिकारी, (क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 550-900 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 425-700 रु०/800 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास क्रीड़ा मुकाबले, खेल प्रतियोगिताएं प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और लेखाओं का अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कादर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति के लिए चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं० 12-11/83-एम०पी०जी०]
वेद कुमार, निदेशक
(डाक व तार)

MINISTRY OF COMMUNICATION

(P & T Directorate)

New Delhi, the 23rd May, 1984

G.S.R. 577.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to thte post of Assistant Director (Sports) in the Ministry of Communicatons, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Communications, Assistant Director (Sports) Recruitment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications:—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post.	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-Selection post.	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added yrs. of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant Director (Sports)/ Joint Secretary Sports Control Board.	1* (1983) *Subject to variations dependent on workload.	General Central Service Gr. 'B' Gazetted.	Rs. 650-30-740-35-810-FB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not-applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for Direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer or Deputation : Officers working under the Central/State Governments: (a) (i) holding analogous post: or (ii) with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent; or (iii) with 8 Years' service in posts in the scale of Rs. 425-700/800 or equivalent: and (b) having experience of organising sports meets, tournaments, coaching centre and accounts. (Period of deputation including the period of deputation including ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while selecting an officer for appointment on deputation.

[No. 12/11/83-SPG]
VED KUMAR, Director
(Posts and Telegraphs)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1984

सा०का०नि० 578—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग में ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गीत और नाटक प्रभाग (ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : —उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक	1 (एक)	साधारण केन्द्रीय सेवा, 'ख' समूह अराजपत्रित अननुसचिवीय	550-25-750-ई०बी०-30-900 रु०	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
7	8	9
नहीं	आवश्यक—1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय रहा हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें स्नातक स्तर पर हिन्दी एक विषय रहा है। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें स्नातक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी विषय रहे हों। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय रहा हो। (2) हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली के कार्य का 3 वर्ष का अनुभव और या अंग्रेजी से हिन्दी में या हिन्दी से अंग्रेजी में अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद का अनुभव। या हिन्दी में अध्यापन अनुसंधान, लेखन या हिन्दी पत्रकारिता का 3 वर्ष का अनुभव। टिप्पण : 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	नहीं

7	8	9
	टिप्पण :—2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। वांछित : 1. संस्कृत और या किसी आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान।	

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
10	11	12
2 वर्ष	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : 1. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (2) जिन्होंने 425—700 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की सेवा की है, और (ख) जिनके पास सीधी, भर्ती के लिये स्तंभ 7 में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव है। 2. ऐसे विभागीय तकनीकी सहायक (हिन्दी) जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, उस पर भी विचार किया जाएगा और यदि उसका इस पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यता 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)। समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी 1. उप निदेशक (प्रशासन) प्रकाशन विभाग —अध्यक्ष 2. उप निदेशक, गीत और नाटक प्रभाग मुख्यालय —सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, फोटो प्रभाग —सदस्य। 4. अनुसूचित जनजाति का समतुल्य प्रास्थिति का एक अधिकारी —सदस्य। टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नही करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	चयन, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा। इन नियमों के किन्हीं उपबंधों में संशोधन/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं०ए-12018/4/80-प्रशा० 1/(ए०एण्ड डी०)]

जे०सी० डंगवाल, उप सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 9th Ap il, 1984

G.S.R. 578:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the p st of Senior Hindi Translator in the Song and Drama Division, namely :—

1 Short Title and Commencement. - (1) These rules may be called the Song and Drama Division (Senior Hindi Translator) Recruitment Rules, 1984

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 Number of posts, Classification and Scale of Pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, Age Limit and Other Qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4 Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriages and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

5 Power to Relax. Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons

6 Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schduled Tribes and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
Senior Hindi Translator	1	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 550-25-750-EB-30-900.

Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension) Rules 1972
5	6	7
Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and lakshadweep).	No

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
8	9
Essential : (i) Master Degree of a recognised University in Hindi with English as a subject at the degree level. Or Master Degree of a recognised University in English with Hindi as a subject at Degree Level.	No

8	9
Or Master Degree of a recgnised University in any subject with Hindi and English as subjects at the Degree level Or Master Degree of a recognised University in any subject with Hindi medium and English as a subject at the Degree Level (ii) 3 years experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice versa, preferably of technical or scientific literature OR 3 years experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi Note : 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note : 2 The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them Desirable : (1) Knowledge of Sanskrit and/or a Modern Indian Language	

Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
10	11
2 years	By promotion/transfer on deputation, falling which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition
12	13
Promotion/transfer on deputation : 1 Officers under the Central Government : (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 5 years service in posts in the scale of Rs 425-700 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column 8 2 The departmeutal Technical Assistant (Hindi) with 5 years' regular service in the grade will also be considered and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years)	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : (i) Deputy Director (Administration), Publications Division Chairman (ii) Deputy Director, Song and Drama Division Headquarters —Member (iii) Administrative Officer, Photo Division—Member. (iv) An officer of appropriate status belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes—Member

Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval If, however, those are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Memer of the Union Public Service Commission shall be held.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
14
Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission. Consultation with the Union Public Service Commission also necessary while amending/relaxing any of the provisions of these rules

[No A-12018/4/80-Admn.I/S &D/DS (D)].
J. C. DANGWAL, Dy. Secy

नई दिल्ली, 21 मई, 1984

सा० का० नि० 879 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रीय फिल्मागार में कतिपय समूह "क" और समूह "ख" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का राष्ट्रीय फिल्मागार (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6(क)
1. निदेशक	*1984 *कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	1800-100-2000 रु०	लागू नहीं होता।	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
(1) आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समतुल्य या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से जनसंचार की पत्रकारिता में उपाधि /डिप्लोमा या समतुल्य (2) 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव जन संपर्क साधनों के अध्यापन या उपयोग का होना चाहिए जिसमें दृश्य श्रव्य संचार या फिल्मागार कार्य को विशेष प्रमुखता दी गई हो, (3) भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का ज्ञान । (4) प्रशासनिक अनुभव वांछनीय : 1 फिल्मागार के प्रायोजनों के लिए फिल्म वर्गीकरण और संरक्षण की विशिष्ट तकनीक और प्रौद्योगिकी का ज्ञान । (2) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से फिल्म निर्माण की किसी शाखा में डिप्लोमा या उपाधि या समतुल्य । (3) फिल्म समालोचना/फिल्म अनुसंधान का अनुभव जिसका समर्थन प्रकाशनों द्वारा किया गया हो । (4) विदेशी भाषा (भाषाओं) का ज्ञान । टिप्पण : 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी क्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हतायें हां	(1) प्रोन्नत किए जाने वाले अधिकारी के लिए दो वर्ष । (2) सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति के लिए एक वर्ष ।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) (1) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/लोक उपक्रमों/अर्द्ध सरकारी, कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जो— (क) (i) सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (2) जिन्होंने 1500-1800 रु० के या समतुल्य वेतनमान की श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है; या (3) जिन्होंने 1300-1700 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है; या	(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. संयुक्त सचिव (फिल्म) सूचना और प्रसारण मंत्रालय —अध्यक्ष 2. निदेशक, भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान —सदस्य 3. मुख्य निर्माता फिल्म प्रभाग—सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग	चयन, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से किया जाएगा ।

10	11	12	13
	(4) जिन्होंने 1100-1600रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 7 वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 7 में अधिकथित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। (2) ऐसे विभागीय प्रादेशिक अधिकारियों पर जिन्होंने उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की है, विचार किया जाएगा और यदि उनमें से किसी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-दायित्वपद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष या किसी सदस्य की उपस्थिति में फिर से होगी।	

1	2	3	4	5	6	6(क)
2. प्रादेशिक अधिकारी	2* (1984 *कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	1100-50-1600रु०	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं

7	8	9
आवश्यक :— (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समतुल्य। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पत्रकारिता या जनसंचार में उपाधि/डिप्लोमा (2) 7 वर्ष का अनुभव जिसमें से 3 वर्ष का अनुभव संचार या फिल्माशार कार्य के अध्यापन या जनसंचार के उपयोग में होना चाहिए। (3) भारतीय और अन्तरराष्ट्रीय सिनेमा का ज्ञान। वांछनीय :— (1) फिल्म समालोचना और फिल्म अनुसंधान कार्य का अनुभव। (2) प्रादेशिक भाषा (भाषाओं) का ज्ञान।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	(1) प्रोन्नत किए जाने वाले अधिकारी के लिए 2 वर्ष। (2) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए वर्ष एक।

7	8	9
टिप्पण : 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।		
टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकते ।		

10	11	12	13
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा है) (1) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/लोक उपक्रमों/अर्द्ध सरकारी, कानूनी या स्वायत्तसंगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी — (क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं या (ii) जिन्होंने 700-1300 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष सेवा की है या (iii) जिन्होंने 650-1200 रु० के समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष सेवा की है । (ख) जिनके नाम सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 7 में अधिकथित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं । (2) ऐसे विभागीय फिल्म पुस्तकालय अधिकारी और फिल्म संरक्षण अधिकारी, पर जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है, विचार किया जाएगा और यदि उनमें से किसी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि , साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति । 1. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष 2. उप सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य । 3. निदेशक, भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान —सदस्य । 4. मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग——सदस्य । टिप्पण :— पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	चयन, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

1	2	3	4	5	6	6क
3. फिल्म पुस्तकालय अधिकारी	1* (1984)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख", राजपत्रित अननुसचिवीय	650-30-740-35-810-ब०रो०-35-880-40-1000-ब० रो०-40-1200 ब०	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।	नहीं

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

7	8	9
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिनेमा पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि या समतुल्य । (iii) फिल्मों के समालोचनात्मक विश्लेषण और समीक्षा का अनुभव । (iv) भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों का ज्ञान । वांछनीय : (v) फिल्म तकनीकों विशेष रूप से संपादन कक्ष कार्य का व्यावहारिक ज्ञान। (vi) फिल्मों को लागू वर्गीकरण और प्रलेखीकरण प्रक्रिया का ज्ञान । टिप्पण: 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।	नहीं	2 वर्ष

10	11	12	13
प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) जिसके द्वारा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा है) 1. केन्द्रीय/राज्य सरकारों/ विश्व	(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति) 1. निदेशक, भा० रा० फि०—अध्यक्ष	चयन; प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

10	11	12	13
	विद्यालयों/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ लोक उपक्रमों/ अर्द्ध सरकारी, कानूनी या स्थायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:— (क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए है या (ii) जिन्होंने 550-700 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 425-700 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष सेवा की है । (iv) (जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 7 में अधिकथित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । (2) ऐसे विभागीय फिल्म पुस्तकालय सहायकों पर जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है विचार किया जाएगा और यदि उनमे से किसी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे)	2. उप सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य । 3. निदेशक, भा० फि० यू० सं०—सदस्य । टिप्पणी : पुष्टि मे संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी ।)			

1	2	3	4	5	6	6क
4. फिल्म संरक्षण अधिकारी	1* (1984)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	650-30-740-35-810-इ०रो०-35-880-40-1000-40-1200 रु०	लागू नही होगा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	नहीं

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

1	2	3	4	5	6	7क
					टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।	
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र या भौतिकी एक विषय के साथ बी० एस० सी० की उपाधि या समतुल्य । किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से चलचित्रिकी फिल्म प्रसंस्करण में डिप्लोमा या समतुल्य और फिल्म प्रसंस्करण प्रयोगशाला में 2 वर्ष का अनुभव या किसी फिल्म प्रसंस्करण प्रयोगशाला में रसायन विश्लेषक/श्रेणी निर्धारक सह मुद्रक के रूप में 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । वांछनीय : विभिन्न प्रकार के कच्च मामले और उनके गुणों का ज्ञान । टिप्पण : 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण : 2. अनुसूचित, संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष			

10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है)	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है): केन्द्रीय /राज्य सरकारों/अर्द्ध सरकारी कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 550-900 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष सेवा की है ; या	(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (1) निदेशक, भा० रा० फि० पुणे—अध्यक्ष (2) उप सचिव (फिल्म) — सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य (3) चलचित्रिकी आचार्य भा० फि० टू० सं०—सदस्य	चयन प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

9	10	11	12	13
		(iii) जिन्होंने 425–700 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष सेवा की है ; और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 7 में अधिकथित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे) (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है, तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	

[सं० 609/16/82-एफ (एम)]
ए० एन० बढियार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st May, 1984

G.S.R. 579.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'A' and Group 'B' posts in the National Film Archive of India, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Film Archive of India (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as special in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—othing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Director	1* (1984) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted non-Ministerial.	Rs. 1800-100-2000.	N.A.	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age limit

1	2	3	4	5	6
					shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep)

Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6a	7	8
No	Essential : (i) Bachelor's degree from a recognised University or equivalent; or Degree/Duploma in Journalism or Mass Communication from a University/Institution or equivalent (ii) 10 years' experience out of which 5 years should be in teaching or use of mass media with special emphasis upon audio visual communication or film archive work (iii) Knowledge of Indian and international Cinema (iv) Administrative experience Note 1 : qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to scheduled castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Knowledge of specialised techniques and technology of film classification and preservation for archival purposes. (ii) Diploma or Degree in any aspect of film making from a recognised Institution or equivalent. (iii) Experience in film criticism/film research work supported by publications. (iv) Knowledge of foreign language(s).	Age : No Educational qualifications : Yes

Period of probation if any	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.
9	10	11
(i) 2 years for promotee officer. (ii) One year for direct recruit.	By promotion/transfer on deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	Promotion/Transfer on deputation (including short-term contract) : (i) Officers under the Central/State Governments/ Universities/Recognised Research Institutions/ Public Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations :— (a) (i) holding analogous posts; or

9	10	11
		(ii) with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 1500—1800 or equivalent; or (iii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1300—1700 or equivalent; or (iv) with 7 years service in posts in the scale of Rs. 1100—1600 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Col. 7 (2) The departmental Regional Officers with 7 year regular service in the grade will also be considered and in case any of them is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. "(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed 4 years)

If DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
12	13
Group 'A' DPC (For considering confirmation) 1. Joint Secretary (Films), Ministry of I & B—Chairman. 2. Director, Film and Television Institute of India—Member. 2. Chief Producer, Films Division—Member. Note : The Proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
2. Regional Officer	2* (1984) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1100-50-1600	NA	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants up to 5 years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6a	7	8
No	Essential : (i) Bachelor's degree from a recognised University or equivalent; or Degree/Diploma in Journalism or Mass Communication from a recognised University/Institution or equivalent. (ii) 7 years' experience out of which 3 years should be in teaching or use of mass media in communication or film archive work. (iii) Knowledge of Indian and International Cinema. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to scheduled castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (1) Experience in film criticism and film research work. (2) Knowledge of regional language(s).	Age : No Educational qualifications : Yes.

Period of probation, if any	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
9	10	11
(i) 2 years for promotee officer. (ii) One year for direct recruit.	By promotion/transfer on deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	Promotion/Transfer on deputation (including short-term contract) : (1) Officers under the Central/State Governments/Universities/Recognised Research Institution/Public Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous organisations : (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 700-1300 or equivalent; or (iii) with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent and (b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Col. 7. (2) The departmental Film Library Officer and Film Preservation Officer with 8 years' regular service in the grade will also be considered and in case any one of them is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. "(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration

9	10	11
		for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years).

If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
12	13
Group 'A' DPC : (For considering confirmation) 1. Joint Secretary (Films)/Deputy Secretary (Film), Ministry of I & B—Chairman. 2. Director, NFAI—Member. 3. Chief Producer, Films Division—Member. Note : The Proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
3. Film Library Officer	1* (1984) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	NA	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6a	7	8
No	Essential : (i) Degre of a recognised University or equivalent (ii) Diploma in Cinema/Library Science from a recognised University/Institution or equivalent. (iii) Experience in critical analysis and review of films. (iv) Knowledge of Indian and international films. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates otherwise well qualified.	No

6a	7	8
	Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at th discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to scheduled castes and scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (1) Practical knowledge of film techniques, especially editing room practice. (ii) Knowledge of classification and documentation procedures applicable to films.	

Period of probation, if any	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
9	10	11
2 years.	By promotion/transfer on deputation (including short-term contract) falling which by direct recruitment.	Promotion/Transfer on Deputation (Including Short-term Contract) : (1) Officers under the Central/State Governments/Universities Recognised Research Institutions/Public Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations:— (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent; or (iii) with 8 years' service in post in the scale of Rs. 425–700 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Col. 7. (2) The departmental Film Library Assistant with 8 years' regular service in the grade will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. "(The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will a not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not he eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediaely preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years).

If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
12	13
Group 'B' DPC : (for considering confirmation) 1. Director, NFAI–Chairman 2. Dy Secretary(Film)/Under Secretary (Film), Ministry of I&B–Member. 3. Director, FTII–Member. Note: The Proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post.	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
4. Film Preservation Officer.	1*(1984)	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-40-1200	N.A.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).

Whether, benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6(a)	7	8
No	Essential : (i) B.Sc. degree with Chemistry or Physics as one of the subjects from a recognised University or equivalent. (ii) Diploma in Cinematography/Film processing from a recognised Institution or equivalent and 2 years' experience in a film processing laboratory. OR 5 years' practical experience in a film processing laboratory as chemical analyser/grader-cum printer. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to scheduled castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : Knowledge of various types of raw stock and their properties.	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.
9	10	11
2 years.	By direct recruitment failing which by transfer on deputation (including short-term contract)	Transfer on Deputation (including Short-term Contract): Officers under the Central/State Govts./Semi-Governments. Statutory or Autonomous organisations:— (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent; or (iii) with 8 yeras' service in posts in the scale of Rs. 425-700 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Col. 7. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years).

If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
12	13
Group 'B' DPC : (For considering confirmation) 1. Director, NFAI, Pune–Chairman. 2. Deputy Secretary (Films)/ Under Secretary (Films), Ministry of I&B–Member. 3. Professor of Cinematography of FTII–Member. Note: The Proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission

[F.No. 609/16/82-FS]
A.N. BARDAIYAR, Desk Officer

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली, 26 मई, 1984

सा०का०नि० 580:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत मौसम विज्ञान विभाग (हिन्दी अधिकारी) भर्ती नियम 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत मौसम विज्ञान विभाग (हिन्दी अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत मौसम विज्ञान विभाग (हिन्दी अधिकारी) भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची में स्तम्भ 6 के अन्तर्गत की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा।

"40 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तकशिथिल की जा सकती है)

टिप्पण :—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी।"

पाद टिप्पण : (1) मूल नियम पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय सं 1-एम (24)/70 तारीख 20-6-1974 (सा०का०नि०-707) द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

(2) संशोधन :—पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय अधिसूचना सं० ए० 12018/5/75-एम तारीख 17-5-1976 (सा०का०नि० 808)।

[फाइल सं० ए० 12018/5/83-स्था० 1]

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

(Indian Meteorological Department)

New Delhi, the 26th May, 1984

G.S.R. 580.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the India Meteorological Department (Hindi Officer) Recruitment Rules 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the India Meteorological Department (Hindi Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the India Meteorological Department (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1974, for the entry under column 6, the following shall be substituted :

"Not exceeding 40 years.
(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).

Note.—The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)".

Foot Note.—(i) Principal rules were notified vide Ministry of Tourism and Civil Aviation No. 1-M(24)/70 dated 20-6-1974 (G.S.R. 707)

(ii) Amendment :—
Ministry of Tourism and Civil Aviation Notification No. A-12018/5/75-M dated 17-5-1976 (G.S.R. 808).

[File No. A-12018/5/83-E.I]

सा०का०नि० 581—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत मौसम विज्ञान विभाग (लागत लेखापाल) भर्ती नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत मौसम विज्ञान विभाग (लागत लेखापाल) भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत मौसम विज्ञान विभाग (लागत लेखापाल) भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची में, स्तम्भ 6 के अन्तर्गत की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा।—

"35 वर्ष से अधिक नहीं" (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण :—आयु सीमा, अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी"।

पाद टिप्पण :—(1) मूल नियम पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय सं० ए-12018/4/74-एम तारीख 20-6-1974 (सा०का०नि० 708) द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

(2) संशोधन

(क) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं० ए-12018/4/74-एम तारीख 5-3-1975 (सा०का०नि० 423)।

(ख) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं० ए-12018/4/74-एम तारीख 23-9-1976 (सा०का०नि० 1511)।

[फाईल सं० ए-12018/5/83-स्था 1]
एस०के० दास, मौसम विज्ञान महानिदेशक

G.S.R. 581.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the India Meteorological Department (Cost Accountant) Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the India Meteorological Department (Cost Accountant) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the India Meteorological Department (Cost Accountant) Recruitment Rules 1974, for the entry under column 6, the following shall be substituted :

"Not exceeding 35 years"

(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).

Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)".

Foot Note.—(i) Principal Rules were notified vide Ministry of Tourism and Civil Aviation No. A-12018/4/74-M dated 20-6-1974 (G.S.R. 708).

(ii) Amendments :—

(a) Ministry of Tourism and Civil Aviation Notification No. A-12018/4/74-M dated 5-3-1975 (G.S.R. 423).

(b) Ministry of Tourism and Civil Aviation Notification No. A-12018/4/74-M dated 23-9-1976 (G.S.R. 1511).

[File No. A-12018/5/83-E. I]

S. K. DAS, Director General of Meteorology

रेल मंत्रालय

(अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन)

लखनऊ, 23 मई, 1984

सा० का० नि० 582.—इस कार्यालय की दिनांक 16/20-11-78 की अधिसूचना संख्या ई/आर/आरडी/एमएस के अन्तर्गत अधिसूचित अ० अ० मा० सं० के अराजपत्रित (लिपिकीय) पदों के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों में 1-4-84 से प्रभावी निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं :—

क्रम सं०	पदों का नाम	वर्तमान वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण
1.	सहायक (रु० 425-800/पूर्व)	तृतीय श्रेणी वर्ग "ग"	वर्ग "ख" (अराजपत्रित
2.	आशुलिपिक (रु० 425-800/पूर्व)	—वही—	—वही—

[सं० ई/आर/आरडी/एमएस]
(के० के० सोनी)
कृते महानिदेशक, अ०अ०मा०सं०

MINISTRY OF RAILWAYS

(Research Designs and Standards Organisation

Lucknow, the 23rd May, 1984.

G. S. R. 582:—Following amendement effective w.e.f. 1-4-84 are made to the Recrtt. & Promotion Rules for the non-gazetted (Ministerial) posts of RDSO, notified vide this office notification No. E/R/RT/MS dated 16/20-11-78.

Sl. No.	Name of posts	Existing classification	Revised classification
1.	Assistants (Rs. 425-800/RS)	Class III Group 'C'	Group 'B' (Non-gazetted)
2.	Stenographers (Rs. 425-800/RS)	-do-	-do-

[No. E/R/RT/MS.]
(K.K. SONI)
for Director General (RDSO)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984